मध्य प्रदेष वन विभाग

सूचना पुस्तिका

(SET OF MANUALS)

(भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी
''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' की धारा 4 (1) (**b**) के अंतर्गत)

11 अक्टूबर 2005

अध्याय – 1

प्रस्तावना

सूचना की पारदर्षिता के मूल मंतव्य के साथ भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसे दिनांक 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई । इस स्वीकृति के 120वें दिन अर्थात 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम पूर्णतः प्रभावषील हो गया है । इस अधिनियम धारा 4 (1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने समस्त अभिलेख सम्यक रूप से तालिकाबद्व प्रारूप में बनाये रखें, जिससे कि सूचना के अधिकार को सुविधाजन्य बनाया जा सके । इस अधिनियम में आम नागरिक को सूचना का अधिकार त्वरित एवं सुविधाजनक स्वरूप में उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत प्रावधान किये गये हैं, जिसका मुख्य उद्देष्य प्रषासन तंत्र को आम जनता के प्रति पारदर्षी एवं उत्तरदायी बनाना है । अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों से यह भी अपेक्षा है कि ऐसे समस्त अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के उपयुक्त हैं, यथा संभव उपलब्ध समय सीमा एवं संसाधानों के तहत कम्प्यूटरीकृत एवं नेटवर्क से जुड़े हुये संधारित किये जायें तथा ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुविधायुक्त बनाई जा सके ।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रावधानों की पूर्ति के लिये मध्य प्रदेष शासन, वन विभाग द्वारा इस सूचना पुस्तिका का प्रकाषन किया गया है । इस पुस्तिका के प्रकाषन में भारत सरकार द्वारा जारी दिषा–निर्देषों को विषेष ध्यान रखते हुये इस प्रयोजन से निर्धारित स्वरूप में इस पुस्तिका का प्रकाषन किया जा रहा है । पुस्तिका के तैयार करने में मूल अवधारणा यह रही है । कि भारत का कोई भी नागरिक जो मध्य प्रदेष वन विभाग की गतिविधियों की जानकारी की अपेक्षा रखता हो, उसे समस्त मूल सूचनाऐं प्राप्त करने में यह सूचना पुस्तिका एक प्रभावी माध्यम बन सके तथा विषेष जानकारी की आवष्यकता महसूस होने पर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिये सुगमता से संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध (Request) प्रस्तुत कर सकें ।

अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि

सूचना पुस्तिका के संबंध में और विवरण प्राप्त करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (समन्वय कक्ष) से सम्पर्क किया जा सकता है । इस पुस्तिका में सम्मिलित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य सूचना की आवष्यकता होने पर विभाग मुख्यालय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं वन संरक्षक (समन्वय) से सम्पर्क किया जा सकता है । क्षेत्रीय स्तर की विभिन्न जानकारियों हेतु प्रत्येक जिला/उप संभाग स्तर पर नामांकित लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों से भी नियमानुसार सूचनाऐं प्राप्त की जा सकेंगी ।

इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया मध्यप्रदेष शासन द्वारा अधिसूचित मध्य प्रदेष सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 के अनुसार होगी ।

संगठन की विषिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

(Particulars of organization, functions and duties)

भूमिका

मध्य प्रदेष में वन विभाग का प्रषासन अगस्त 1860 में वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ तथा कर्नल जी0एफ0 पियर्सन की प्रथम वन संरक्षक के रूप में नियुक्ति की गई । वर्ष 1862 में पड़त भूमि नियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत सागौन, साल, शीषम व बीजा की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया । स्थापना के दौरान वन विभाग को सड़कों का अभाव, प्राथमिक स्तर की विरल अधोसंरचना, भूमि अधिकारों की अनिष्चय स्थिति तथा संचार तंत्र के अभाव के कारण वनों के संरक्षण में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा । वर्ष 1863 में ब्रैन्डिस ने कर्नल पियर्सन के साथ राज्य के वनों का निरीक्षण किया तथा वन नीति के निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया –

1. वन रिजर्व का सीमांकन
2. वनों की अग्नि से सुरक्षा एवं
3. वन राजस्व में वृद्धि के स्रोतों का पता लगाना ।

उक्त नीति के अंतर्गत होषंगाबाद मंडल के बोरी के वनों को वर्ष 1865 में देष का प्रथम रिजर्व घाषित किया गया । वन विभाग के अधीन लिये गये क्षेत्र को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिये भारतीय वन अधिनियम 1865 बनाया गया, जिसमें 1875 व 1878 में संषोधन किए गए । इस अधिनियम के अंतर्गत शासन के अधीन वनों का आरक्षित वन घोषित किया गया । इस समय शासन की घोषित नीति के अनुसार श्रेणी एक के रिजर्व को बढ़ाना संरक्षित करना तथा उनमें सुधार लाना था । श्रेणी एक के रिजर्व के अतिरिक्त अन्य वनों को श्रेणी दो के रिजर्व के रूप में रखा गया, जिसका इस प्रकार प्रबंधन करना था कि जलाऊ, चारा व अन्य वनोपज की स्थानीय मांग की पूर्ति हो सके ।

वर्ष 1865 में पातन के पूर्व वृक्षों की चिन्हांकन की व्यवस्था की गई तथा 1868 में प्रांत में सागौन वृक्षारोपण प्रारंभ किया गया । भारत सरकार द्वारा 1894 में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई । इस नीति के अंतर्गत कार्य आयेाजना तैयार कर वनों का सुव्यस्थित प्रबंधन करना था । उस समय तैयार की गई कार्य आयेाजनाऐं अत्यंत साधारण थीं, तथा उनमें पर्याप्त आंकड़ों का अभाव था फिर भी इन कार्य आयेाजनाओं ने भविष्य में विस्तृत कार्य आयेाजना बनाने की आधारषिला रखी थी

उत्तरोत्तर वर्षो में वन प्रबंधन के सिद्वांतों का विकास हुआ तथा भारत की स्वतंत्रता के पष्चात अक्टूबर 1947 में देष में पहली बार मध्य प्रदेष में एक वन नीति समिति का गठन किया गया । मध्य प्रदेष वन नीति समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप मई 1952 में प्रकाषित राष्ट्रीय वन नीति के निर्माण में अत्यंत तेन्दूपत्ता व अन्य लघु वनोपजों के संग्रहण कार्य में आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गो की आय तथा जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का मार्ग खुला । इसी तारतम्य में वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे वनों की सुरक्षा सुगम हुई एवं वन राजस्व में भी वृद्वि हुई ।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्व मध्य प्रदेष की वन सम्पदा जैव विविधता से परिपूर्ण है । प्रदेष की विषिष्ट भौगौलिक एवं सामाजिक–आर्थिक परिवेष के दृष्टिगत प्रदेष की अपनी वन नीति वर्ष 2005 में जारी की गई । इस नीति में इमारती एवं जलाऊ लकड़ी तथा बांस के अधिकाधिक उत्पादन के साथ ही जैव विविधता संरक्षण व लघु वनोपज का विनाष – विहीन विदोहन तथा प्राप्त वनोपज का प्रसंकरण कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने तथा विपणन व्यवस्था का विकास करने के प्रावधान किये गये हैं । औषधीय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत इनका संरक्षण एवं संवर्द्वन नई वन नीति के तहत सुनिष्चित किया जायेगा । इस नीति में वन्य प्राणी संरक्षण के साथ ही प्राकृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण तथा ईका–टूरिज्म के विकास को भी

समुचित महत्व दिया गया है । वन प्रबंध के साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता के दृष्टिगत संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा लेते हुये प्रदेष की नई वन नीति में वनों के आदर्ष प्रबंधन की आधारषिला रखी गई है, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में वनोपज की जरूरतें पूरी करने के साथ ही वनवासियों के जीविकोपार्जन के उपयों में वृद्धि तथा गांवों में कुटीर उद्योग के विकास का मार्ग प्रषस्त किया जा सके ।

संक्षेप में, मध्यप्रदेष में वन विभाग का दायित्व राज्य वन नीति 2005 के अनुसार निम्न शब्दों में निरूपित किया गया है :–

''प्रदेष के परिस्थितिकीय, आर्थिक सामाजिक एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुये वनों के संरक्षण संवर्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिये युक्तियुक्त वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, परिस्थितिकीय संतुलन एवं भू–जल संरक्षण के साथ–साथ वनाश्रित समुदायों की आवष्यकताओं की पूर्ति एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ताकि वन संसाधनों के विकास के साथ–साथ इन समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके ।''

विभागीय संरचना

वन विभाग की गतिविधियां प्रमुख रूप से मुख्यालय स्तर पर निम्नांकित शाखाओं में विभाजित हैं । विभाग प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक इन शाखाओं के कार्यो का नियंत्रण करते हैं तथा दिषा निर्देष देते हैं । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अंतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक स्तर के अधिकारी इन शाखाओं के कार्यो का संपादन करते हैं । प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) द्वारा प्रदेष के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों पर प्रषासकीय नियंत्रण रखा जाता है ।

विभाग में मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार शाखाएं हैं :–

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
- कार्य आयोजना
- उत्पादन/उद्योग
- संरक्षण
- प्रषासन (राजपत्रित)
- अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी
- विकास/योजना
- संयुक्त वन प्रबंध/वन विकास अभिकरण
- प्रषासन (अराजपत्रित)
- भू–प्रबंध
- वित्त एवं बजट
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- मानव संसाधन विकास एवं नीति विष्लेषण इकाई
- विष्व खाद्य कार्यक्रम
- सतर्कता एवं षिकायत
- समन्वय
- सूचना प्रौद्योगिकी
- प्रोजेक्ट्स

अधीनस्थ कार्यालय

क्षेत्रीय स्तर पर प्रषासनिक दृष्टिकोंण के समस्त वन क्षेत्रों को 16 क्षेत्रीय वन वृत्तों में विभाजित किया गया है । इन क्षेत्रीय वन वृत्तों के अतिरिक्त 16 कार्य आयोजना इकाई (वन संरक्षक स्तर) जैव विविधता एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु 10 क्षेत्रीय वन संरक्षक, वन्यप्राणी, 01 प्राचार्य रेंजर इकाईयों के प्रभारी वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(क) क्षेत्रीय वन वृत्त – बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होषंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, सिवनी, षिवपुरी, एवं उज्जैन

(ख) कार्य आयोजना वृत्त – भोपाल, जबलपुर, इन्दौर (मुख्य वन संरक्षक स्तर)

(ग) प्राजेक्ट टाइगर – कान्हा (मंडला) बांधवगढ़ (उमरिया) पेंज (सिवनी) पन्ना, सतपुड़ा (पचमढ़ी)

(घ) प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय – बालाघाट

(च) वन संरक्षक, नर्मदा उत्पादन – खंडवा

क्षेत्रीय वन वृत्तों के अंतर्गत प्रदेष में वन मण्डल स्तर की 62 क्षेत्रीय इकाईयॅा हैं, जिसके प्रभारी उप वन संरक्षक (वन मण्डलाधिकारी) स्तर के अधिकारी हैं । प्रत्येक क्षेत्रीय वन वृत्त मुख्यालय पर एक कार्य आयोजना इकाई (वन संरक्षक स्तर) कार्यरत है जो मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना के अंतर्गत कार्य करते हैं । प्रदेष के राष्ट्रीय उद्यानों में वन संरक्षक/संचालक/क्षेत्र संचालक कार्यरत है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के नियंत्रण में कार्य करते हैं ।

विभागीय अमला

मध्य प्रदेष में भारतीय वन सेवा केडर में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 270 है । इनमें से 164 सीनियर ड्यूटी पद हैं । 270 पदों में से 189 सीधी भर्ती के पद हैं एवं 81 पदोन्नति के पद हैं भारतीय वन सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की संख्या 276 हैं जिनमे 203 अधिकारी सीधी भर्ती के तथा 73 अधिकारी पदोन्नति के कार्यरत हैं । मध्य प्रेदष संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के 32 पदों के विरूद्व 13 अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । राज्य प्रतिनियुक्ति पर 41 पदों के विरूद्व 52 अधिकारी कार्यरत है ।

भारतीय वन सेवा संवर्ग में स्वीकृत संवर्गीय पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	02
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04
3.	मुख्य वन संरक्षक	16
4.	वन संरक्षक	78
5.	उप वन संरक्षक	64
	योग–	**164**

राज्य वन सेवा संवर्ग में सहायक वन संरक्षक के कुल 319 पद स्वीकृत हैं । इनमें से सीधी भर्ती के 106 एवं पदोन्नति के 213 पद हैं । वर्तमान स्थिति में इन 319 पदों के विरूद्व विभाग में 283 सहायक वन संरक्षक कार्यरत है । सहायक वन संरक्षकों को त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृत हैं, प्रवर श्रेणी के 48 पद के विरूद्व 17 अधिकारी कार्यरत हैं, तथा वरिष्ठ वेतनमान में 80 पद स्वीकृत हैं जिनके विरूद्व 63 अधिकारी कार्यरत हैं । शेष सभी कनिष्ठ वेतनमान में हैं । सहायक वन संरक्षकों में प्रतिनियुक्ति पर लघु वनोपज संघ में 20 राजधानी परियाजना में 02 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में 05 एवं राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में 01 अधिकारी कार्यरत है ।

इस प्रकार 319 पदों के विरूद्व 311 सहायक वन संरक्षक कार्यरत है ।

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

(Powers and duties of officers and employees)

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में वन वित्तीय नियम, वित्तीय कोड़ तथा अन्सय संगत नियमों एवं अनुदेषों का पालन करते हुये कर्तव्य निर्वहन किया जाता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न वन अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत पृथक–पृथक स्तर के लिये अधिकार एवं शक्तियां निर्धारित हैं, जिनका पालन किया जाता है ।

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये समय–सीमा निर्धारित की गई है, जिसका कर्तव्य निर्वहन के समय क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पालन करना अपेक्षित होता है । इस प्रकार की कुछ सामान्य परिसीमाएं निम्न तालिका में दर्षाई गई है :–

तालिका 3,1ः विभिन्न गतिविधियों के लिये निर्धारित समय–सीमा

क्र	कार्य विवरण	प्रभारी अधिकारी का स्तर	समय सीमा	समय सीमा में नहीं निपटाये जाने पर किसे षिकायत की जाये	षिकायत के निराकरण की समय सीमा
सामान्य कार्य					
1.	मजदूरी का भुगतान	वनक्षेत्रपाल	कोषालय से देयक पारित होने के एक सप्ताह में	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
2.	विष्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण	वनक्षेत्रपाल	कूपन प्रदाय के सात दिन में	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
3.	परिवहन ठेकों की स्वीकृति	वन मण्डलाधिकारी	औपचारिकतायें पूर्ण करने के 15 दिन के भीतर	वन संरक्षक	15 दिवस
4.	परिवहन बिलों का भुगतान	वन मण्डलाधिकारी	एक माह में	वन संरक्षक	15 दिवस
5.	विक्रीत वनोपज का स्वीकृति आदेष	वन मण्डलाधिकारी	राषि जमा करने 15 दिन	वन संरक्षक	15 दिवस
6	असफल बोलीदार की सत्यंकर की राषि वापसी	सत्यंकार अधिकारी	नीलामी के 7 दिन में	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
7.	कार्योपरान्त जमानत राषि की वापसी	वन मण्डलाधिकारी	अनुबंध अवधि के एक माह में	वन संरक्षक	15 दिवस
8.	खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
9.	वाहन मरम्मत का भुगतान	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
10.	वन्य प्राणियों से जन हानि, पषु हानि, राहत राषि का भुगतान	वनक्षेत्रपाल	एक माह	वन संरक्षक	15 दिवस
11	वाणिजयक अनुसूची दर, वनोपज तथा निस्तार दरों का निर्धारण	वन संरक्षक	मार्च के दर के आधार पर मई के अन्त तक दरें निर्धारित की जायेगी	मुख्य वन संरक्षक उत्पादन सतपुड़ा भवन भोपाल	15 दिवस
12	क्रय की गई भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन	क्रय करने वाले अधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
क्र	कार्य विवरण	प्रभारी अधिकारी का स्तर	समय सीमा	समय सीमा में नहीं निपटाये जाने पर किसे षिकायत की जाये	षिकायत के निराकरण की समय

					सीमा
13	क्रय की गई भण्डार सामग्री का भुगतान	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	भौतिक सत्यापन के 7 दिवस में	वन संरक्षक	15 दिवस
14	विभिन्न वनोपज के परिवहन जारी अनुज्ञा पत्र जारी करना ।	सक्षम अधिकारी	एक दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
15	राजस्व वापसी	भुगतान कर्ता अधिकारी	15 दिन में आदेष तथा 15 दिन में भुगतान	वन संरक्षक	15 दिवस
16	लघु वनोपज हेतु संग्रहण राषि का भुगतान	वन क्षेत्रपाल	एक सप्ताह में संग्रहित मात्रा हेतु आगामी सप्ताह के अन्त तक	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
17	तेन्दू पत्ता श्रमिकों की समूह बीमा योजना राषि का भुगतान, (बीमा कम्पनी स्तर से प्रकरण स्वीकृत होने पर)	वन मण्डलाधिकारी	एक माह	वन संरक्षक	15 दिवस
कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु होने पर देय स्वत्वों का निराकरण					
18	अवकाष नगदीकरण की स्वीकृति	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष	15 दिवस
19	उपादान एवं पेंषन	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष	15 दिवस
20	परिवार कल्यांण निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष	15 दिवस
21	सामान्य भविष्य निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष	15 दिवस
22	परिवार अनुग्रह राषि (एक्सग्रेसिया)	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष	7 दिवस
23	अन्य भुगतान	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष	15 दिवस

अध्याय 4 (मैनयुअल – 3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेष निर्देषिका और अभिलेख

(Rules, regulations, instructions, manual and records, for discharging functions)

कृत्यों का निर्वाहन निम्नलिखित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेषों और अभिलेखों के आधार पर किया जाता है :–

अधिनियम

1 भारतीय वन अधिनियम 1927
2 भारतीय वन (म0प्र0 संषोधन) अधिनियम 1965
3 भारतीय वन (म0प्र0 संषोधन) अधिनियम 1983
4 भारतीय वन (म0प्र0 संषोधन) अधिनियम 1989
5 म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम 1969
6 म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियम) संषोधन अधिनियम 1972
7 म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियम) संषोधन अधिनियम 1983
8 म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियम) संषोधन अधिनियम 1986
9 म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियम) संषोधन अधिनियम 1990
10 म0प्र0 वन उपज भूमि शाष्वत पट्टा संहरण अधिनियम 1973
11 म0प्र0 कराधान अधिनियम 1982
12 म0प्र0 कराधान (संषोधन) अधिनियम 1984
13 म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियम) अधिनियम 1984
14 म0प्र0 वन उपज करारों का पुनरीक्षण (संषोधन) अधनियम 1996
15 वन संरक्षक अधिनियम 1980
16 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972
17 म0प्र0 वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001
18 म0प्र0 लोक वानिकी अधिनियम 1964
19 मध्य प्रदेष तेन्दू पत्ता अधिनियम 1964
20 मध्य प्रदेष तेन्दू पत्ता अधिनियम 1989
21 मध्य प्रदेष वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969
22 मध्य प्रदेष वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1983
23 मध्य प्रदेष वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1986
24 मध्य प्रदेष वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1990

नियम

1. म0प्र0 अभिवहन (वनोपज) नियम 1961
2. म0प्र0 अभिवहन (वनोपज) नियम 1961 में म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/फ–30–40–95 एक्स–3(2) दिनांक 19.10.95 द्वारा किया गया संषोधन
3. म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियम) नियम 1969
4. म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18–1–96–दस–3 दिनांक 22 मार्च 1997 द्वारा म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियम) नियम 1969 में संषोधन
5. म0प्र0 वन उपज (व्यापार विनियम) परामर्षदात्री (मंत्रणा) समिति तथा मूल्य प्रकाषन नियम 1969
6. म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम 1973
7. म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम 1984

8. म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) संषोधन नियम 2000
9. म0प्र0 वन विकास उपकर नियम 1982
10. म0प्र0 संरक्षित वन नियम 1960
11. म0प्र0 चराई नियम 1986
12. म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3944–दस–3–88 दिनांक 3 सितम्बर 1988 द्वारा म0प्र0 चराई नियम 1986
13. म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3663–दस–3–89 दिनांक 11 अगस्त 1989 द्वारा म0प्र0 चराई नियम 1986 में संषोधन
14. म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18–3–90–दस–तीन दिनांक 09 जनवरी 1991 द्वारा म0प्र0 चराई नियम 1986 में संषोधन
15. म0प्र0 वन ग्राम नियम 1977
16. म0प्र0 वन ग्राम नियम 1977 में म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/फ–5/127/76/3/दस दिनांक 4.01.1980 द्वारा संषोधन
17. म0प्र0 वन ग्राम नियम 1977 में म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3081/3026/90/10–3 दिनांक 04.01.1980 द्वारा संषोधन
18. म0प्र0 वन ग्राम नियम 1977 में म0प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2008–दस–3–99 दिनांक 31.7.1999 द्वारा संषोधन
19. म0प्र0 वन्य प्राणी संव्यवहार तथा चमड़ा साफ करने की कला (चर्मषोध) नियम 1973
20. म0प्र0 वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम 1974
21. म0प्र0 फारेस्ट (फार्म आफ अपील) नियम 1988
22. म0प्र0 वन भूमि शाष्वत पट्टा प्रति संहरण नियम 1974
23. म0प्र0 इमारती लकड़ी बिना स्वामी की (बहती हुई, अटकी हुई, डूबी हुई, किनारे लगी, बिना दावा की) नियम 1986
24. म0प्र0 में अंगीकृत वन संविदा नियम 1927 जो म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक/2388–दस–59 दिनांक 27.3.59 द्वारा बनाये गये ।
25. वन वित्तीय नियम (एफ.एफ.आर.)
26. कोषालय संहिता
27. भण्डार क्रय नियम
28. म0प्र0 वन सुरक्षा पुरूस्कार नियम 2004
29. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली 1966
30. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली 2000
31. म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम 1969

मैनुअल

म0प्र0 फारेस्ट मैनुअल 1980

सर्कुलर्स

म0प्र0 पुस्तक परिपत्र भाग एक एवं भाग दो

अन्य नियम

1. अवकाष नियम
2. पेषन नियम
3. मूलभूत नियम (फंडामेन्टल रूल्स)
4. यात्रा भत्ता नियम
5. चिकित्सा परिचर्या नियम

अध्याय 5 (मैनयुअल – 4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्ष के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

(Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof)

विभाग में नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिष्चित की जाती है तथा विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों से भी परामर्ष का विकल्प लिया जाता है, जिससे की नीति निर्धारण जतना की अपेक्षा के अनुरूप रखा जा सके ।

विभाग के अंतर्गत वन सीमा से पॉच किलोमीटर के दायरे तक सीमित ग्रामों में रियायती दर पर बांस, बल्ली इत्यादि की आपूर्ति की व्यवस्था निस्तार के अंतर्गत की गई है ।

इसके अतिरिक्त ग्राम वन समितियों तथा वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनता की भागीदारी के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है ।

लोकवानिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत तहसील स्तरीय मूल्यांकन समिति

विभाग में लोकवानिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत तहसील स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है । इस व्यवस्था में प्रत्येक विकासखंण्ड या उसके किसी ब्लॉक के प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन को क्षेत्रीय परिक्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जाता है । जिसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथा स्थिति किसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ठ किया जाता है । समिति सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका–टिप्पणी तथा सिफारिषों की रिपोर्ट देती है ।

अध्याय 6 (मैनयुअल – 5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण

(A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

मध्य प्रदेष वन विभाग द्वारा समय–समय पर वन सांख्यकी तथा वार्षिक प्रषासनिक प्रतिवेदन का प्रकाषन किया जाता है । ये अभिलेख विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जा रहे है ।

राज्य वन नीति 2005

वर्ष 2005 में नई वन नीति जारी की गई है, जिसके मुख्य अंष निम्नानुसार हैः–

यह वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई है । इस नीति में वनो, वन्य प्राणियों, पर्यावरण, जैव विविधता एवंज ल स्रोत्रों के संरक्षण के साथ–साथ वन वासियों की आजीविका को महत्व दिया गया है । बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में वन उपज की आवष्यकता वनक्षेत्रों के बाहर उत्पादन बढ़ा कर किये जाने पर जोर दिया गया है । किसनों द्वारा अपनी निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों के विदोहन की प्रक्रिया सरल की जायेगी तथा ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा । संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सक्रिय भागीदारी दी जायेगी ।

मध्य प्रदेष लोक वानिकी अधिनियम 2001

राज्य में मध्यप्रदेष लोक वानिकी अधिनियम 12 अप्रैल 2001 से लागू किया गया है, जिसमें राज्य के निजी और म0प्र0 राज्य के निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु लोक वानिकी योजना का प्रारंभ किया गया है । प्रदेष में अधिक से अधिक कृषकों को लोक वानिकी का लाभ पहुॅचाने के लिए और योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लोने के लिए सदन में म0प्र0 लोक वानिकी (संषोधन) विधेयक, 2005 पारित किया गया है । इस संषोधन के तहत चार्टर्ड फारेस्टरों के उपबंधों का लोप किया गया है । अब कृषक, ग्राम सभा एवं पंचायत द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा लोकवानिकी प्रबंध योजना तैयार करवाई जा सकेगी ।

अध्याय 7 (मैनयुअल – 6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

(A statement of boards, council, committees and other bodies constituted as its part)

प्रदेष में वानिकी से संबंधित निम्नलिखित संगठन कार्यरत है :–

1. मध्य प्रदेष राज्य वन विकास निगम ।
2. मध्य प्रदेष राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ ।
3. राज्य वन अनुसंधान संस्थान (मुख्यालय : जबलपुर) ।

उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

मध्य प्रदेष राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
(मुख्यालयःपंचानन भवन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल)

संक्षिप्त परिचय, स्थापना वर्ष, उद्वेष्य, मुख्य कृत्य

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट, (फरेस्ट्री मैन मेड फारेस्ट – 1972) के आधार पर मध्य प्रदेष में 20 करोड़ रूपये की अधिकृत अंष पूॅंजी से म0प्र0 राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी । वर्तमान में निगम की अधिकृत अंष पूॅंजी 40 करोड़ रूपये तथा प्रदत्त अंष पूॅंजी 39.32 करोड़ रूपये है । जिसमें से केन्द्र शासन का अंष 1.39 करोड़ रूपये एवं मध्य प्रदेष शासन का अंष 37.93 करोड़ रूपये है ।

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्‌देष्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहु उपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के रोप वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है ।

संस्था की भूमिका

निगम की मुख्य भूमिका निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहु उपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के रोप वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है । निगम वित्त सक्षम योजनाऐं तैयार कर वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर अपनी वानिकी गतिविधियों का संचालन करता है । विभिन्न संस्थानों से डिपोजिट प्राप्त कर बंजर भूमि में उच्च कोटि के रोप वनतैयार कर पर्यावरण सुधार में महती भूमिका निभाई जाती है ।

संस्था का स्वरूप

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत शासकीय उपक्रम है ।

मुख्य अधिकारियों के नाम

क्र	अधिकारियों के नाम	पदनाम
मुख्यालय		
1	श्री ए.के.दुबे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक	प्रबंध संचालक
2.	श्री आर.एस.नेगी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक	अपर प्रबंध संचालक
3.	डॉ0 आर.पी.सिंह, मुख्य वन संरक्षक	महा प्रबंधक (वरिष्ठ)
4.	श्री जे.एस.सेहरावत, मुख्य वनसंरक्षक	महाप्रबंधक
5.	श्री राकेष चन्द्रा	उप महाप्रबंधक (विपणन) एवं सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय		
1.	श्री व्ही.पी.गुप्ता वन संरक्षक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक भोपाल
2.	श्री जी. कृष्णमूर्ती, वन संरक्षक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक, जबलपुर
3.	श्री ए.एस.तोमर	मण्डल प्रबंधक, छिंदवाड़ा
4.	श्री व्ही.के.वर्मा	मण्डल प्रबंधक, बरघाट
5.	श्री डी.व्ही.कपिल	मण्डल प्रबंधक, लामटा
6.	श्री चितरंजन त्यागी	मण्डल प्रबंधक, मोहगॉव
7.	श्री व्ही.एन.अम्बाडे	मण्डल प्रबंधक, रामपुर भातौड़ी
8.	श्री ए.के.भूगांवकर	मण्डल प्रबंधक, कुण्डम
9.	श्री जी.पी.श्रीवास्तव	मण्डल प्रबंधक, उमरिया
10.	श्री सी.एस. मिश्रा	मण्डल प्रबंधक, सीधी
11.	श्री भरत शर्मा	मण्डल प्रबंधक, आई.पी.डी. भोपाल
12	श्री राकेष कुमाद दुबे	मण्डल प्रबंधक, खण्डवा
13.	श्री पी.सी. ताम्रकार	मण्डल प्रबंधक, विदिषा–रायसेन

मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

क्र	कार्यालय का नाम	पता
1	प्रबंधक संचालक प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. पंचानन भवन, पंचमतल, मालवीय नगर, भोपाल
2.	क्षेत्रीय महा प्रबंधक, भोपाल म. प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड मेजेनाईन, फ्लार, गंगोत्री भवन, न्यू मार्केट, भोपाल
3.	क्षेत्रीय महाप्रबंधक, जबलपुर म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड 451, संजीवनी नगर गढ़ा, जबलपुर
4.	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड छिंदवाड़ा परियोजना मण्डल 4, आदर्ष नगर, परासिया रोड, छिंदवाड़ा
5	मण्डल प्रबंधक म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड बरघाट परियाजेना मण्डल नागपुर–जबलपुर मार्ग जयरत रोड के पास सिवनी
6.	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. लामटा परियोजना मण्डल अधीक्षण यंत्री, बाण गंगा सर्कीट आफीस के सामने बालाघाट
7.	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. मोहगॉव परियोजना मण्डल दक्षिण वनमण्डल मण्डला वन कार्यालय के पीछे, सिविल लाईन मण्डला ।
8.	मण्डल प्रबंधक	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. रमपुर भतौड़ी परियोजना

	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.	मण्डल सदर बाजार, इटारसी रोड़ बैतूल
9.	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. कुण्डम परियोजना मण्डल 468, 469 संजीवनी नगर, गढ़ा जबलपुर
10	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. उमरिया परियोजना मण्डल उमरिया
11	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. सीधी परियोजना मण्डल तिलक टॉकीज के पास, सीधी
12.	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य यवन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल मकान नं.–2 अरण्य विहार चूना भट्‌टी, कोलार रोड भोपाल
13	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. खण्डवा परियोजना मण्डल कान्हा कुंज, दादाजी नगर, सर्वोदय कॉलौनी खण्डवा
14.	मण्डल प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. विदिषा रायसेन परियाजना मण्डल फारेस्ट डिपो परिसर दुर्गा नगर, विदिषा

जनता की भागीदारी का स्वरूप

निगम द्वारा वानिकी योजनाओं एवं अन्य संबंधित गतिविधयों के क्रियान्वयन में स्थानीय ग्रामणों/आदिवासियों को प्रार्थमिकता के तौर पर वर्ष में लगभग 25 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । श्रमिकों (महिला एवं पुरूष) को कार्य के दौरान पेयजल प्राथमिक चिकित्सा, लेबर हट आदि सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है ।

यदि कोई आवेदक संस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया

आवेदक को जानकारी प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में लिखित आवेदन देना होगा ।

1. मुख्यालय, भोपाल
2. क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय, भोपाल
3. क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय, जबलपुर
4. मण्डल कार्यालय ।

मध्य प्रदेष राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

मध्यप्रदेष राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था । प्रदेष में लघु वनोपज संघ का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेष के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवंअन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एंव विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया । वर्ष 2004 से तेन्दू पत्ता का निवर्तन करने के लिए संग्रहण से पूर्व ही प्रतिस्पर्धा के आधार पर तेन्दू पत्ता क्रेताओं की नियुक्ति की जा रही है । संघ प्राथमिक

वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेन्दू पत्ते का संग्रहण कर उसे हरी अवस्था में ही इन पूर्व नियुक्त क्रेताओं को प्रदान करेगा । इस प्रकार तेन्दू पत्ते के उपचारण, बोरा भराई, परिवहन एवं गोदामीकरण के कार्य क्रेता द्वारा ही किये जायेंगे । इस व्यवस्था से तेन्दू पत्ता की गुणवत्ता में सुधार आने के साथ–साथ संग्रहण कर्ताओं को अधिक लाभ मिलेगा एवं बीड़ी श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा । इस हेतु प्रदेश में 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिमियॉ तथा 58 जिला लघु वनोपज संघ वन मण्डल स्तर पर कार्यरत हैं । प्रदेष के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज चिरौजी, शहद, माहुल पत्ता, ऑवला औषधि वनोपजों का निःषुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है विभिन्न लघु वनोपजों के संबंध में संक्षिप्त विवरण अनुसार है :–

राष्ट्रीयकृत वनोपज

तेन्दू पत्ता– विगत तीन वर्षो में तेन्दू पत्ता संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी इस प्रकार हैः–

मात्रा लाख मानक बोरा में राषि–करो रूपये में

वर्ष	संग्रहण दर रू. प्रति मा0बो0	गोदामीकृत मात्रा	संग्रहण मजदूरी	विक्रय मात्रा	विक्रय मूल्य
2002	300 एवं 400	22.65	89.04	22.65	165.77
2003	300 एवं 400	22.21	87.56	21.19	151.34
2004	300 एवं 400	25.70	101.61	10.82	81.56

सालबीज

शासन द्वारा प्रतिवर्ष साल बीज संग्रण की दरें निर्धारित की जाती है । साल बीज की इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वतैन किया जाता है । इकाईयों के लिये नियुक्त क्रेताओं द्वारा संग्रहण केन्द्रों पर समिमियों के माध्यम से संग्रहित साल बीज का परिदान लिया जाता है । जिन क्षेत्रों में इकाईयों का अग्रिम निर्वर्तन नहीं हो पाता है वहॉ समितियों द्वारा संग्रहित साल बीज को गोदामीकृत कर गोदाम से निर्वर्तन किया जाता है । विगत 3 वर्षो में साल बीज संग्रहण की जानकारी इस प्रकार है :–

राषि–करोड़ रू. में, मात्रा–क्विंटल में

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर	संग्रहित मात्रा	भुगतान की गई संग्रहण मजदूरी	निवर्तित की गई मात्रा
2002	330	6273	0.21	6273
2003	330	709	0.02	709
2004	330	570	0.02	–

कुल्लू गोद के संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण :

राषि–लाख रू. में, मात्रा–क्विंटल में

संग्रहण वर्ष	संग्रहण मात्रा	निवर्तित मात्रा	प्राप्त विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर
2001–2002	328.91	328.91	16.01	5106
2002–2003	529.40	529.40	25.72	4859
2003–2004	215.93	215.93	11.21	5194

अराष्ट्रीयकृत वनोपज

वनोपज संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित वनोपज का उचित मूल्य दिलाने एवं लघुवनोपज के विनाष विहीन सतत् विदोहन सुनिष्चित करने के उद्‌देष्य से गत वर्षो में विभिन्न अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है । समितियों द्वारा इस प्रकार संग्रहित वनोपजों को अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विक्रय के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है । ताकि इस व्यापार से भी समितियों को लाभ अर्जित हो । इस प्रकार अर्जित लाभ में से भी संग्राहकों को राषि भुगतान की जाती है ।

सामाजिक सुरक्षा – समूह जीवन बीमा योजना

वर्ष 1991 से प्रदेष के समस्त तेन्दू पत्ता संग्रहकों के कल्यांण हेतु एक शुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारंभ की गई । वर्ष 1997 से योजना में सम्मिलित किसी भी संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति को रूपये 3500/– की राषि तथा यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंषिक रूप से विकलांग हो जाता है तो आंषिक विकलांगता के लिए रूपये 12500/– तथा यदि दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें या उसके उत्तराधिकारी को रूपये 25000/– की राषि देने का प्रावधान है । इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.47 लाख दावों का निराकरण किया जाकर रूपये 54.37 करोड़ की राषि मृत तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार को भुगतान की जा चुकी है ।

तेन्दू पत्ता संग्राहकों के दावा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विकेन्द्रीकरण किया जाकर ग्वालिय, जबलपुर, भोपाल एवं इंदौर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकृत किया गया है । तथा इन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनसे संबंद्व जिला यूनियनों के दावा प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही की जा रही है । भारतीय जीवन बीमा निगम से भी निरन्तर समन्वय कर प्रस्तुत दावों को शीघ्रातिषीघ्र निराकरण कराने के प्रयास किए जाते है ।

प्रोत्साहन पारिश्रमिक

वर्ष 1997 तक संघ द्वारा लघु वनोपज व्यापार का शुद्व लाभ राज्य शासन को रायल्टी के रूप में भुगतान किया जाता रहा है । संविधान के 73 वें संषोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सोंपा गया है । प्रदेष में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं । लघु वनोपज व्सवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्व आय, प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है । इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेष देष का पहला राज्य है । इस शुद्व आय का 50 प्रतिषत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त 20 प्रतिषत भाग वनों के पुनरूत्पादन पर लगाया जा रहा है । तथा शेष राषि सहकारी समितियॉ अपने विवके अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में व्यय कर रहीं हैं । इसे अंतर्गत ग्रामों में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, तथा गोदामों एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण तथा औषधी उद्यान की स्थापना के कार्य किये जा रहे है । यह व्यवस्था वर्ष 1998 सीजन से लागू की गई ।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्षो में वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राषि का विवरण निम्नानुसार है :–

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरित राषि (रू. करोड़ में)
1998	57.27
1999	48.22
2000	7.30
2002	8.25

बांस संसाधनों एवं बांस षिल्प के विकास की योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत शासन द्वारा प्रदेष के 10 जिलों यथा सतना, मण्डला, डिण्डोरी, पन्ना, छतरपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, गुना, बालाघाट, सिवनी, एवं सीधी में बांस संसाधनों एवं बांस षिल्प के विकास की योजना के लिए रूपये 13.69 करोड़ की स्वीकृति दी गई है । जिसमें रूपये 10.27 करोड़ रूपये भारत सरकार का अनुदान हे तथा 3.42 करोड़ रूपये राज्यांष है योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है । योजना के अंतर्गत 500 विकेन्द्रीकृत रोपणियों की स्थापना कर उनमें बांस के पौधे तैयार किये गये है । एवं 600 हैक्टर सामुदायिक भूमि पर उच्च तकनीक रोपण तथा 3600 हैक्टेयर निजी भूमि पर बांस रोपण किया गया है एवं 4000 हेक्टेयर में बिगड़े बांस वनों का सुधार किया गया है । योजना के अंतर्गत बंषकार कर्मषालायें स्थापित कर चयनित हितग्राहियों को आधुनिक औजारों से नये उत्पादों के निर्माण का प्रषिक्षण दिया जा रहा है । हरदा एवं सतना जिलों मे विकास आयुक्त (हस्तषिल्प) कपड़ा, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अम्बेडकर हस्ताषिल्प विकास योजना के बांस षिल्पियों को प्रषिक्षण प्रारंम्भ किया गया है ।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनायें

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जिला, छिदबाड़ा, हरदा तथा भिण्ड में औषधीय पौधों के अंतः स्थलीय तथा बाह्य स्थलीय संवर्धन के लिए तथा बालाघाट में औषधीय कृषि प्रषिक्षण केन्द्र के लिए कुल 100 लाख रूपये की 5 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है । जिनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है । बोर्ड द्वारा औषधीय कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता की योजना भी प्रारंभ की गई है । जिसके अंतर्गत वर्ष 2002–2003 में 56 कृषकों को रूपये 3.06 करोड़ एवं वर्ष 2003–2004 में 367 कृषकों को रूपये 8.77 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी गई है ।

प्रसंस्करण

पन्ना जिले की प्राथमिक समितियों द्वारा तैयार किये जाने वाले ऑवला मुरब्बा के लिए एफ. पी.ओ. लाईसेंस प्राप्त किया गया एवं मध्यप्रदेष खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से इस उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की गई । देवास जिले में निर्मित होने वाले आंवला शरबत के लिए एफ.पी.ओ. लाइसेंस प्राप्त कर विपणन किया जा रहा है । इसी तरह शहद एवं अन्य उत्पादों के लिए एफ.पी.ओ. लाइसेंस एवं एग्मार्क प्राप्त किये जायेंगे ताकि उत्पादों की गुणवत्ता बनीरहे एवं उसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके ।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, वन विभाग के आदेष क्र. 3/6/94–70–2 दिनांक 29/10/94 द्वारा स्वायत्त संस्थान घोषित किया गया जिसके फलस्वरूप 2–8–95 को संस्थान सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हुआ । संस्थान के संचालक, मण्डल के 15 सदस्य है । संस्थान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के संचालक–1 मुख्य वन संरक्षक स्तर के अपर संचालक – 1 उप वन संरक्षक स्तर के उप संचालक – 3 तक नकनीकी सहायक – 11 पदस्थ हैं

यह संस्थान वन वर्धन, वृक्ष सुधार, वन्यप्राणी संरक्षण, जैव विविधता, जेव प्रौद्योगिकी वनोपज विपणन एवं वन विस्तार, वन मापिकी, पर्यावरण प्रभाव में शोध एवं तकनीक विकसित करने का कार्य करता है ।

राज्य वन अनुसंधान द्वारा किए जा रहे कार्यो का विवरण :–

1. कार्बनिक अपषिष्टों से वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोष्ट का उत्पादन एवं ग्रामीणों में इस तकनीक का प्रचार–प्रसार
2. स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बांस परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ।
3. राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत जेट्रोफा का एकीकृत विकास ।
4. विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों पर लाख का उत्पादन एवं विकसित तकनीक का प्रचार–प्रसार
5. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माणाधीन लोवर गोई सिंचाई परियोजना जिला–बड़वानी एवं गोपालपुर जल विद्युत परियोजना जिला–जबलपुर (म.प्र.) में पर्यावरण संघात निर्धारण एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार करना ।
6. उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन कार्यक्रम ।
7. गुणवत्ता वाले बीजों एवं पौधों के द्वारा पैदावार बढ़ाना ।
8. वन वर्धन तकनीक एवं अन्य वन प्रबंधन प्रक्रिया को सतत् प्रबंधन द्वारा सुनिष्चित करना ।
9. रोपणी तकनीक के विकास संबंधी योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन ।
10. कायिक प्रबंर्धन, संतति परीक्षण एवं वृक्षों की अच्छी किस्म तैयार करना ।
11. औषधीय पौधों का सर्वेक्षण, उत्पादन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेषन एवं कृषि तकनीक का विकास ।
12. औषधीय पौधों का अंत एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं विकास ।
13. लघु वनोपज एवं औषधीय एवं सुगंधित पौधों का प्रारंभिक संसाधन सर्वेक्षण ।
14. लघु वनोपज का सतत् विदोहन संष्लेषण, विपणन एवं सतत् प्रबन्धन द्वारा आजीविका का विकास ।
15. संयुक्त वन प्रबंधन में जन भागीदारी के स्वरूप का विकास ।
16. बिगड़े वनों का प्रबंधन एवं मूल्यांकन ।
17. लोक संरक्षित क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन ।
18. विष्व खाद्य परियोजना के अंतर्गत उपलब्धियों का मूल्यांकन ।
19. नमूना भूखंड का मापन एवं फार्म फैक्टर, आयतन एवं उत्पादन तकनीक का निर्माण ।
20. हरबेरियम एवं वनस्पतिक उद्यान का रखरखाव एवं विकास ।
21. वन संग्रहालय की स्थापना ।
22. परिरक्षित प्रकोष्ठ की स्थापना एवं निगरानी ।
23. प्रषिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं संस्थान में सूचना प्राणाली तकनीक का विकास ।
24. त्रैमासिक पत्रिका ''वानिकी संदेष'' एवं ''वन धन'' का प्रकाषन ।

संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाऐं

1. कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमले को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रंसस्करण (Primary processing) भंडारण ऊतक संवर्धन (Tissue culture) एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रषिक्षण ।
2. विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के रोपण संबंधी एवं औषधीय पौधों की कृषि तकनीक की जानकारी ।
3. बीज प्रमाणीकरण एवं मृदा विष्लेषण ।
4. उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय ।
5. औषधीय पौधों विषेषतः संर्पगंधा, गूगल, ब्राम्ही, गुडमार एवं कलिहारी का रसायनिक परीक्षण कर रसायनिक रेखाचित्र (Chemo-profiling) तैयार करना ।
6. वन विभाग, अन्य शासकीय/अषासकीय संगठनों तथा व्यक्तियों को वानिकी विषयों पर व्यावसायिक तकनीकी परामर्ष देना ।
7. वानिकी विषयों पर अनुसंधानरत पी.एच.डी. छात्रों को मार्ग दर्षन एवं अनुसंधान सुविधाऐं उपलब्ध कराना ।

8. लोक संरक्षित क्षेत्रों (PPA) एवं अन्य वनक्षेत्रों में वन संसाधन सर्वेक्षण ।
9. काष्ठ इमारती वृक्ष प्रजातियों के फार्म फैक्टर तालिका, प्राप्ति तालिका (Yield Tables) और आयतन तालिका (Volume Tables) तैयार करना ।
10. पर्यावरण संघात निर्धारण (Environment Impact assessment) एवं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वनीकरण हेतु परामर्ष ।
11. लघु वनोपज विपणन सूचना तंत्र (Market Impact assessment) का विकास एवं त्रैमासिक पत्रिका ''वन धन'' के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना ।
12. तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार–प्रसार हेतु पाठन सामग्री इत्यादि तैयार करना ।
13. पुस्तिकालय एवं प्रलेख्य शाखा में संग्रहित दुर्लभ वानिकी अनुसंधान अभिलेखों का वानिकीविदों एवं शोधार्थियों को उपलब्ध कराना ।

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विषिष्टियां
(The names, designations and other particulars of the Public Informantion Officers)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आदेश क्रमांक/सम/व्यवस्था/259 दिनांक 21.9.2005 से विभाग के लिये निम्नानुसार अधिकारियों के नामांकन किये गये है :–

(जिला वार)

जिले का नाम – टीकमगढ़

क्र	विवरण	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
1	नाम	–	श्री आर0एस0कोरी	श्री डॉ0ए0के0सिंह
	पदनाम	–	वन मण्डलाधिकारी	वन संरक्षक
	कार्यालय का पूर्ण पता	–	वन मण्डल कार्यालय मामौन दरबाजा टीकमगढ़ (म0प्र0)	वन संरक्षक कार्यालय पुराना विजावर नाका छतरपुर (म0प्र0)
	दूरभाष कार्यालय	–	245315 (07683)	242107 (07682)
	दूरभाष आवास	–	242343 (07683)	242870 (07682)
	दूरभाष फैक्स	–	245315 (07683)	242107 (07682)
	ई–मेल	–	gwltseroft@sancharnet.in	cfchtpr@sancarnet.in
2	नाम	श्री पी0के0रावत		श्री आर0एस0कोरी
	पदनाम	उपवन मण्डलाधिकारी	–	वन मण्डलाधिकारी
	कार्यालय का पूर्ण पता	उप वन मण्डल कार्यालय मामौन दरबाजा टीकमगढ़	–	वन मण्डल कार्यालय मामौन दरबाजा टीकमगढ़ (म0प्र0)
	दूरभाष कार्यालय	245315 (07683)	–	245315 (07683)
	दूरभाष आवास	–	–	242343 (07683)
	दूरभाष फैक्स	245315 (07683)	–	245315 (07683)
	ई–मेल	–	–	gwltseroft@sancharnet.in
3	नाम	श्री आर0के0मिश्रा	–	श्री आर0एस0कोरी
	पदनाम	उप वन मण्डलाधिकारी	–	वन मण्डलाधिकारी
	कार्यालय का पूर्ण पता	उप वन मण्डल कार्यालय थाने के सामने निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)	–	वन मण्डल कार्यालय मामौन दरबाजा टीकमगढ़ (म0प्र0)
	दूरभाष कार्यालय	242318 (07680)	–	245315 (07683)
	दूरभाष आवास	232318 (07680)	–	245315 (07683)
	दूरभाष फैक्स	नहीं है	–	245315 (07683)
	ई–मेल	नहीं है	–	gwltseroft@sancharnet.in

निर्णय लेने की प्रक्रिया
(Procedure followed in decision making process)

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये प्रक्रिया निर्धारित है । सामान्य जन से संबंधित विभिन्न प्रचलित प्रावधानों का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है :–

जंगली जानवरों द्वारा जनहानि अथवा पषुहानि :

जंगली जानवरों द्वारा जनहानि अथवा पषुहानि की घटना होने पर निम्न व्यवस्था परिचलित है :–

1 पषुहानि के प्रकरणों में घटना के 48 घंटे के अंदर नजदीकी परिक्षेत्र कार्यालय में आवेदन प्रेषित किया जाना अनिवार्य है । क्षतिपूर्ति का भुगतान एक माह के अंदर (अधिकतम पांच हजार रूपये) किया जाता है ।

2 जनहानि के प्रकरणों में निकटतम पुलिस थाने में सूचना दर्ज करना अनिवार्य होता है । रूपये 1000 (रूपये पचास हजार) स्वीकृत की जाती है ।

3 जन घायल चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये जानेपर रूपये 500 का अग्रिम प्रदाय किया जा सकता है । एवं इलाज पर व्यय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक माह की अवधि में क्षतिपूर्ति भुगतान अधिकतम रूपये 10000 (रूपये दस हजार) तक के भुगतान का प्रावधान है

तेन्दू पत्ता संग्राहक बीमा :

तेन्दू पत्ता संग्राहक बीमा मृतक के वैध वारिस के द्वारा समिति या परिक्षेत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर निम्न व्यवस्था अनुसार किया जाता है :–

- परिक्षेत्र से प्रबंध संचालक कार्यालय में आवेदन का प्रस्तुतीकरण ।
- प्रबंध संचालक कार्यालय से जीवन बीमा निगम को प्रकरण प्रस्तुतीकरण ।
- जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा राषि का ड्राफ्ट प्रबंध संचालक को भेजना ।
- प्रबंध संचालक के द्वारा बैध वारिस को ड्राफ्ट का प्रदाय ।

व्यापारी/विर्निर्माता का पंजीयन :

व्यापारी/विनिर्माता के पंजीयन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निरूपित है :–

- निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुतीकरण ।
- आवेदक के कार्य का परीक्षण वन मण्डलाधिकारी या अधीनस्थ द्वारा ।
- पंजीयन (लायसेंस) का प्रदाय ।

आरा मषीनों का पंजीयन :–

– आरा मषीनों के पंजीकरण के संबधं में वैधानिक प्रावधान मध्यप्रदेष काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 4.6 तथा मध्यप्रदेष काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984 की धारा 3.4 में निहित है ।

– भारत के सर्वोच्य न्यायालय के निर्देषों के प्रकाष में वर्तमान में किन्हीं भी नयी आरा मषीनों का पंजीकरण किये जाने पर रोक है ।

वर्तमान में वर्ष 1996 की स्थिति में चल रहीं आरा मषीनों के ही स्वामित्व परिवर्तन की अवस्था में अन्तरण की अनुमति दी जाती है । यह अनुमति निम्न शर्तों के अधीन रहती है :—

1. आरा मषीनों के स्थानान्तरण एवं नामांतरण की अनुमति उस अनुज्ञप्ति अधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) द्वारा जारी की जावेगी जिसके क्षेत्रों में आरा मषीन स्थिति हो ।
2. यदि आरा मषीन का स्थानान्तरण किसी अन्य वन मण्डल के लिये आवेदित हो तो अनुमति जारी करने से पूर्व उस वन मण्डलाधिकारी की सहमति अनिवार्य होगी जिनके क्षेत्रो में आरा मषीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
3. यह अनुमति निम्न शर्तो के अधीन दी जावेगी :—

(क) विभिन्न प्रकार की मषीनों (बैंड सॉ, पीलिंग मषीन, स्लाइसर मषीन आदि) की संख्या में वृद्धि/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(ख) प्रतिबंधित क्षेत्रों में आरा मषीन स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(ग) आरा मषीन की क्षमता में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(घ) अनुज्ञप्ति के दो फाड़ (Slitting) की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(ड़) नामांतरण के प्रकरणों में भावी मालिक को आरा मषीन चालू करने से पूर्व वन विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी ।

(च) ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा जिनके विरूद्व पूर्व में वन अपराध पंजीबद्व किये गये हों, या अन्य किसी कारण से उन्हें अयोग्य माना गया हो

(छ) ऐसी आरा मषीनों के स्थानान्तरण / नामान्तरण/ नवीनीकरण के आदेवन पर विचार नहीं किया जावेगा जो माननीय सर्वोच्य न्यायालय के 12—12—96 के आदेष के परिपालन में न्यायालय में प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं है ।

वन अपराध प्रकरण (पी0ओ0आर0) एवं उनका संधारण :—

वन अपराध घटित होने की अवस्था में अपराधी के विरूद्व वन विभाग के द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के लिये जो प्रतिवेदन सर्व प्रथम तैयार किया जाता है । उसे पी0ओ0आर0 Preliminary ofence Report (प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन) कहते हैं । यह प्रतिवेदन अपराध प्रकरण का संज्ञान लेने वाले अधिकारी जो कि प्रायः वन रक्षक, वनपाल व वन क्षेत्रपाल स्तर के होते है, के द्वारा तैयार किया जाता है । इसमें वन अपराधी का नाम किये गये अपराध का संक्षेप में विवरण, अपराधी से जप्तषुदा वनोपज, वाहन, औजार इत्यादि का विवरण दिया जाता है । इसके साथ मौका पंचनामा, जप्तीनामा और अपराधी के द्वारा प्रकरण में चाहे जाने की अवस्था में वन विभाग को दिये गये राजीनामा की प्रतियॉ भी संलग्न की जाती है ।

वन अपराध का संज्ञान लेने के उपरान्त संज्ञान लेने वाले अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रकारण की सूक्ष्म जॉच की जाती है । और अपराध सिद्व पाये जाने पर न्यायालय में दिया जाता है या फिर अपराधी की इच्छा पर वन विभाग द्वारा ही रायल्टी कम्पन्सेषन तथा वाहन इत्यादि का मूल्य लेकर प्रकरण कम्पाउंड किया जाता है । कम्पाउन्ड करने की प्रक्रिया पूरी तरह अपराधी की इच्छा पर निर्भर रहती है । और इसके लिये अपराधी के द्वारा वर्णित तीनों राषियों का भुगतान किया जाना अनिवार्य रहता है । न्यायालयीन प्रकरण में मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेष ही विधिवत प्रक्रिया अनुसार मान्य होता है ।

— अपराध को न्यायालय अथवा विभाग द्वारा कम्पाण्ड किये जाने पर ही प्रकरण समाप्त हुआ मान्य किया जाता है ।

— पी0ओ0आर0 प्रकरण में राजीनामा मान्य किये जाने के लिये अविर्निर्दिष्ट वनोपज के लिये उप वन मण्डलाधिकारी स्तर के अथवा विधि प्रक्रिया की परीक्षा उत्तीर्ण वन परिक्षेत्रााधिकारी एवं विर्निदिष्ट वनोपज के लिये संबंधित वन मण्डलाधिकारी अधिकृत रहते हैं ।

– जॉच के समय अभिलेख प्रायः क्षेत्रों के परिक्षेत्र सहायक के पास अथवा वन क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं । जॉच उपरान्त प्रकरण के अनुसांधान एवं आगे की कार्यवाही हेतु यह समस्त अभिलेख उप वन मण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते है ।

परिवहन अनुज्ञा पत्र :–

वनोपज के परिवहन के लिये सामान्यतः परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवष्यकता रहती है । इसके संबंध में विस्तृत प्रावधान मध्यप्रदेष भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्य प्रदेष विर्निदिष्ट वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 मध्य प्रदेष तेन्दू पत्ता अधिनियम 1964 और इनके अधीन बनाये गये नियमों में किया गया है ।

मध्य प्रदेष वनोपज परिवहन नियम 2000 के अनुसार निजी क्षेत्रों की काष्ठ अत्यादि के परिवहन के लिये प्रावधान निम्नानुसार है :–

धारा 4 के अनुसार :–

1. शासकीय वनोपज के पास वन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये जावेंगे ।
2. निम्न प्रजातियों के लिये पास की आवष्कता नहीं होग–
3. नीलगिरी, 2. केजूरिना, 3 सुबबूल, 4.चपलर, 5. इज़राइली बबूल, 6. बिलायती बबूल, 7. बबूल, 8. नीम, /षंकुधारी काष्ठ जो म0प्र0 में नहीं पायी जाती है – चीड़ को छोड़कर हर्रा तथा अन्य समस्त प्रकार की गोंद, अविर्निर्दिष्ठ लघु वनोपज वाहन पास से मुक्त रहेंगे ।
4. बांस के पास खण्डवा, बैतूल, होषंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, सीधी, जिले में वनाधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे शेष जिलों में ग्राम पंचायत पास जारी करेगी ।
5. ग्राम पंचायत जिले के अंदर परिवहन पास जारी करेगी । जिले के बाहर वनाधिकारी द्वारा पास जारी किये जावेंगे ।
6. लोक वानिकी के प्राप्त वनोपज के पास भी उपरोक्तानुसार जारी होंगे ।
7. पास अभिलेख सहित आवेदन देने के 45 दिन में जारी किया जावेगा ।

धारा – 5 के अनुसार – अभिवहन पास जारी करने के लिये फीस नियम की गई है जो निम्नुनसार है :–

		प्रति ट्रक	प्रति ट्रक/ट्राली	प्रति बैलगाड़ी
1.	इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी तथा बांस	100/–	50/–	10/–
2.	अन्य लघु वनोपज	25/–	10/–	2/–

परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदाय :

परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदाय की व्यवस्था निम्नानुसार है :–

- आवेदन का प्रस्तुतीकरण
- वनोपज का सत्यापन वन मण्डलाधिकारी या अधीनस्थ के द्वारा ।
- परिवहन अनुज्ञा पत्र का प्रदाय ।

अध्याय 10 (मैनयुअल – 9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देषिका

(Directory of officers and employees)

क्र	नाम	पदनाम	कार्यालयीन पता	वन मण्डल वृत्त एवं जिले का नाम	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल
					कार्यालय	आवास		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री आर.एस. कोरी	वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़	सा.वन मण्डल टीकमगढ़	टीकमगढ़	245315	242343	245315	gwltseroft@sancharnet.in
2	श्री पी.के. रावत	उ.व.मं.अ. टीकमगढ़	सा.वन मण्डल टीकमगढ़	टीकमगढ़	245315	–	245315	-
3	श्री आर.के. मिश्रा	उ.व.मं.अ. निवाड़ी	उ.व.मं. निवाड़ी	टीकमगढ़	–	–	–	-
4	श्री ओ.एस. चौहान	परि. अधि. टीकमगढ़	परिक्षेत्र टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
5	श्री ए.के. उपाध्याय	परि. अधि. जतारा	परिक्षेत्र जतारा	टीकमगढ़	–	–	–	-
6	श्री अजीत सिंह	परि.अधि. ओरछा	परिक्षेत्र ओरछा	टीकमगढ़	–	–	–	-
7	श्री अजीत सिंह	डिपो ऑफीसर ओरछा	रेल्वे स्टेषन ओरछा	टीकमगढ़	–	–	–	-
8	श्री आर.टी. सनागो	गेंम रेंज ऑफीसर ओरछा	अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	–	–	–	-
9	श्री बीरेन्द्र सिंह तोमर	परि.अधि. निवाड़ी	परिक्षेत्र निवाड़ी	टीकमगढ़	–	–	–	-
10	श्री बी.एन. पाठक	वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र ओरछा	टीकमगढ़	–	–	–	-
11	श्री रहमान खॉ	मुख्य लिपिक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
12	श्री सुरेश कुमार जैन	स्ऐनो	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
13	श्री पी0एल0गोस्वामी	लेखापाल	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
14	श्री जानकी प्रसाद अहिरवार	लेखापाल	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
15	श्री रमेश कुमार शर्मा	लेखापाल	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
16	श्री सत्य प्रकाश पाण्डे	लेखापाल	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
17	श्री राम स्वरूप गोस्वामी	सहा.ग्रेड–2	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-

18	श्रीमती बैनीवाई बंशकार	सहा.ग्रेड–2	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
19	श्री ओम कार प्रसाद अहिरवार	सहा.ग्रेड–2	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
20	श्री जगदीश प्रसाद तिवारी	नि.श्रे.लि.	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
21	श्री राम गोपाल द्विवेदी	नि.श्रे.लि.	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
22	श्रीमती अकीला खान	नि.श्रे.लि.	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
23	श्री दयाराम झा	नि.श्रे.लि.	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
24	श्री शफी खॉ	नि.श्रे.लि.	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
25	श्री सुरेश कुमार अहिरवार	नि.श्रे.लि.	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
26	श्री मनोज कुमार वर्मा	नि.श्रे.लि.	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
27	श्री नरेन्द्र पाल सिंह गौर	नि.श्रे.लि.	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
28	श्री शहीद खॉ	नि.श्रे.लि.	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
29	श्री मदनगोपाल द्विवेदी	नि.श्रे.लि.	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	–	–	–	-
30	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी	नि.श्रे.लि.	उ.व.मं. कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	–	–	–	-
31	श्री हर्ष कुमार श्रीवास्तव	नि.श्रे.लि.	परिक्षेत्र काय्रलय निवाड़ी	टीकमगढ़	–	–	–	-
32	श्री जगदीश प्रसाद कड़ा	वाहन चालक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
33	श्री सैय्यद अली	वाहन चालक	परिक्षेत्र काय्रलय ओरछा	टीकमगढ़	–	–	–	-
34	श्री वृजभूषण श्रीवास्तव	वाहन चालक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
35	श्री मनीष कुमार द्विवेदी	दफ्तरी	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
36	श्री रोहणी प्रसाद केवट	भृत्य	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
37	श्री राम गोपाल रैकवार	भृत्य	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-
38	श्री सरदार सिंह	अर्दली	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	–	–	–	-

39	श्री अयोध्या प्रसाद लोधी	अर्दली	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
40	श्रीमती अंजुलता बाल्मीक	भृत्य	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
41	श्रीमती सावित्री देवी	भृत्य	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
42	श्रीमती रामकली	भृत्य	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
43	श्रीमती जुलेखा	भृत्य	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
44	श्रीमती पूना देवी	चौकीदार	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
45	श्री आर.एस. तिवारी	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
46	श्री आर.एस. तोमर	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
47	श्री एस.पी. दॉगी	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
48	श्री के.एल. अहिरवार	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
49	श्री राम प्रसाद वंशकार	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
50	श्री वल्देव प्रसाद कुम्हार	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
51	श्री कृपाल सिंह गोंड़	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
52	श्री एम0के0खरे	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
53	श्री आर0बी0खरे	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
54	श्री पूरन सिंह परमार	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
55	श्री स्वामी प्रसाद तिवारी	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
56	श्री वृज लाल अहिरवार	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
57	श्री आर0के0रावत	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
58	श्री सुन्दर लाल प्यासी	वनपाल	उ.व.मं. कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
59	श्री महावीर प्रसाद यादव	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
60	श्री एम0एल0कार पेन्टर	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-

61	श्री डी0पी0शुक्ला	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
62	श्री आर0के0 द्विवेदी	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
63	श्री डी0के0नायक	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
64	श्री हर प्रसाद कड़ा	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
65	श्री कोमल सिंह यादव	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
66	श्री आर0एस0बुन्देला	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
67	श्री राजेन्द्र प्रसाद परस्तोर	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
68	श्री बाबू लाल यादव	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
69	श्री मंसूर नट	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
70	श्री हबीब अली आ. छोटे अली	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
71	श्री हबीब अली आ. मुमताज	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
72	श्री बुद्वसेन कोल	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
73	री नारायनदास बंशकार	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
74	श्री स्वामीदीन वाजपेई	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
75	श्री छोटेलाल धोवी	वनपाल	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
76	श्री ओम प्रकाश कुशवाहा	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
77	श्री रमेश कुमार शर्मा	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
78	श्री रज्जू लाल सोनी	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
79	श्री वृजलाल भलावी	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
80	श्री श्रीकान्त भोंड़ेले	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
81	श्री संजय कुमार शर्मा	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
82	श्री राम प्रकाश भटनागर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-

83	श्री जगत नारायण माली	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
84	श्री फरयाद खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
85	श्री मथुरा प्रसाद नापित	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
86	श्री रामकोटि द्विवेदी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
87	श्री माधोप्रसाद लोधी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
88	श्री मनोहर सिंह	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
89	श्री महेन्द्र कुमार बाजपेई	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
90	श्री रमेश कुमार रिछारिया	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
91	श्री रसीद खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
92	श्री बीरेन्द्र कुमार खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
93	श्री मोहम्मद युसुफ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
94	श्री राजेन्द्र प्रसाद बंशकार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
95	श्री स्वामी प्रसाद द्विवेदी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
96	श्री चन्द्रभान जैन	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
97	श्री भैयाराम यादव	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
98	श्री चतुर सिंह	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
99	श्री राकेश कुमार वाजपेई	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
100	श्री अब्दुल नईम खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
101	श्री रफीक मोहम्मद	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
102	श्री हरीलाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
103	श्री बी0एन. तिवारी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-

104	श्री राजेश विक्रम सिंह	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
105	श्री मुस्तफा खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
106	श्री राम सेवक अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
107	श्री प्यारेलाल प्रजापति	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
108	श्री राम सेवक मामुलिया	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
109	श्री शिवराम पटैरिया	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
110	श्री शिवनारायण गोस्वामी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
111	श्री ओम प्रकाश पाठक	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
112	श्री कायम खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
113	श्री नबाव खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
114	श्री रामजी त्रिपाठी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
115	श्री अय्यूब खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
116	श्री महेश प्रसाद तिवारी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
117	श्री महेश प्रसाद शुक्ला	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
118	श्री मनोज कुमार शर्मा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
119	श्री भाग चन्द्र लोधी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
120	श्री सुखदास अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
121	श्री परमसुख	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
122	श्री रमाशंकर खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
123	श्री बालकृष्ण सोनकिया	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
124	श्री भुवनेश्वर प्रसाद दुवे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
125	श्री दरयाव कड़ा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-

126	श्री राधे श्याम सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
127	श्री देवीदयाल माली	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
128	श्री शिवकुमार त्रिपाठी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
129	श्री जवाहर लाल प्रजापति	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
130	श्री रियाज उद्दीन काजी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
131	श्री राम कुमार वंशकार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
132	श्री भगवत प्रसाद पांण्डे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
133	श्री ओम प्रकाश रैकवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
134	श्री बाबू लाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
135	श्री भूरा सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
136	श्री दामोदर प्रसाद घोषी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
137	श्री प्रभुदयाल अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
138	श्री रज्जू लाल साहू	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
139	श्री उत्तम सिंह घोषी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
140	श्री कैलाश प्रसाद मिश्रा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
141	श्री कैलाश बहादुर खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
142	श्री राम कुमार त्रिपाठी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
143	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
144	श्री किशोरी लाल अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
145	श्री रमाशंकर पटैरिया	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
146	श्री राजाराम अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
147	श्री मातादीन अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-

148	श्री रमेश प्रसाद मिश्रा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
149	श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
150	श्री राजेश भट्ट	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
151	श्री हरिप्रकाश पुष्पकार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
152	श्री इस्माइल खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
153	श्री राम किशन खंगार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
154	श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
155	श्री सुरेश चन्द्र बंशकार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
156	श्री प्रभुदयाल शर्मा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
157	श्री धनीराम अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
158	श्री रामेश्वर दयाल दॉगी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
159	श्री मदन गोपाल मिश्रा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
160	श्री बाबू लाल अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
161	श्री सुदामा प्रसाद पुरोहित	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
162	श्री प्रतिपाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
163	श्री आनन्द कुमार खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
164	श्री जय प्रकाश मिश्रा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
165	श्री प्रभुदयाल खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
166	श्री बीरेन्द्र सहांय खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
167	श्री प्यारे लाल अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
168	श्री मिथलेश कुमार खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
169	श्री आशाराम रावत	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-

170	श्री दिनेश कुमार बाजपेई	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
171	श्री सुरेश प्रसाद पटैरिया	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
172	श्री प्रेम नारायण नायक	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
173	श्री डालचन्द्र अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
174	श्री राम निवास तिवारी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
175	श्री बेनी प्रसाद राजपाली	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
176	श्री शिवनारायण रावत	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
177	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
178	श्री शहीद मोहम्मद	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
179	श्री अनूप सिंह ठाकुर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
180	श्री मनका प्रसाद अहिरवार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
181	श्री श्रीराम लुहार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
182	श्री सुरेन्द्र कुमार खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
183	श्री शिशुपाल सिंह निरंजन	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
184	श्री रविशंकर गोस्वामी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
185	श्री किशन लाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय अभ्यारण्य ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
186	श्री राम मनोहर तिवारी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
187	श्री छोटे खॉ	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
188	श्री नबल किशोर कुम्हार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-

189	श्री अश्वनी कुमार मिश्रा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
190	श्री बीरेन्द्र कुमार खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
191	श्री धनीराम नापित	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
192	श्री सत्य प्रकाश पाण्डे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
193	श्री नारायनदास कुशवाहा	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
194	श्री शेख मेहबूब	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
195	श्री देवीसिंह राजपूत	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
196	श्री महेश प्रसाद खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
197	श्री देवेन्द्र कुमार खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
198	श्री लखन लाल नायक	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
199	श्री राज नारायण तिवारी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
200	श्री मनमोहन लाल खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
201	श्री किशोरी लाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
202	श्री हरपाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
203	श्री विजय शंकर श्रीवास्तव	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
204	श्री छोटेलाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
205	श्री बाबू लाल राव	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
206	श्री चऊदे प्रसाद सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
207	श्री वृजेन्द्र सिंह बुन्देला	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
208	श्री मनीष कुमार खरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
209	श्री विकास गिरी गोस्वामी	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
210	श्री पुरूषोत्तम पाण्डे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-

211	श्री आन्नद बंशकार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
212	श्री राजेन्द्र सिह ठाकुर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
213	श्री दशरथ प्रसाद ढीमर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
214	श्री चन्द्र प्रकाश राय	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
215	श्री लखन लाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
216	श्री चर्तुभुज सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
217	श्री राम सेवक दोहरे	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
218	श्री रसूल अहमद	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय ओरछा	टीकमगढ़	—	—	—	-
219	कुमारी सुमन सूत्रकार	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
220	श्री परमलाल अहिरवार	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
221	श्री जालम प्रसाद कुम्हार	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
222	श्री भगवत दयाल कोरी	वनरक्षक	वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
223	श्री कल्लू लाल मेहतर	गोदाम कीपर	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-
224	श्री कृपाराम यादव	गोदाम कीपर	परिक्षेत्र कार्यालय निवाड़ी	टीकमगढ़	—	—	—	-
225	श्री रामलाल सोंर	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय टीकमगढ़	टीकमगढ़	—	—	—	-
226	श्री प्रेम लाल बंशकार	वनरक्षक	परिक्षेत्र कार्यालय जतारा	टीकमगढ़	—	—	—	-

अध्याय 11 (मैनयुअल – 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

(The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in regulations)

विभाग के अंतर्गत प्रदेष में भारतीय वन सेवा तथा राज्य वन सेवा के अधिकारियों की पदस्थिति के अतिरिक्त कार्यपालिक अमले के अंतर्गत वन क्षेत्रपाल, उप वनक्षेत्रपाल, वनपाल एवं वनरक्षक तथा लिपिकीय अमले के अंतर्गत विभिन्न स्तर के लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत है, जिनके वेतनमान निम्नानुसार है :–

अनुक्रमांक	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	वेतनमान (रूपये)
भारतीय वन सेवा के अंतर्गत		
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	24050–26000
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	22400–24500
	मुख्य वन संरक्षक	18400–22400
	वन संरक्षक	16400–20000
	उप वन संरक्षक (सलेक्षन ग्रेड)	14300–18300
	उप वन संरक्षक (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड)	12000–16500
	उप वन संरक्षक (वरिष्ठ वेतनमान)	10000–15200
	सहायक वन संरक्षक	10000–15200
	सहायक वन संरक्षक	8000–13500
राज्य वन सेवा के अंतर्गत		
	उप वन संरक्षक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	12000–16500
	उप वन संरक्षक (वरिष्ठ वेतनमान)	10000–15200
	सहायक वन संरक्षक (कनिष्ठ वेतनमान)	8000–13500
अन्य कर्मचारी		
	वन क्षेत्रपाल	5500–9000
	उप वनक्षेत्रपाल	4500–7000
	वनपाल	4000–6000 एवं 3500–5200
	वन रक्षक	3550–4590
	कार्यालय अधीक्षक	5000–150–8000
	शीघ्र लेखक	6500–200–10500
	मुख्य लिपिक	4500–125–7000
	सहायक वर्ग दो	4000–100–6000
	सहायक वर्ग तीन	3050–75–3950–80–4590
	जीप चालक	4000–100–6000
	ट्रक चालक	3050–75–3950–80–4590
	प्रषिक्षक वनरक्षक	3050–75–3950–80–4590
	भृत्य	2550–55–2660–60–3200
	चौकीदार	2550–55–2660–60–3200
	मानचित्रकार	5000–150–8000
	गोदाम कीपर	3050–4590
	दफ्तरी	2750–4400
	खलासी	2610–3540
	संदेष वाहक	2550–3200
	माली	2550–3200

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट–सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना

(The budget allocated to each agency-Particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbyrsement made)

वर्ष 2004–2005 के लिये उपलब्ध कराया गया बजट प्रावधान (विमुक्त की गई राशि) तथा वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये व्यय की जानकारी निम्न तालिका में दर्षित है ।

तालिका 12:1 वर्ष 2005–2006 हेतु आबंटन एवं व्यय के ऑकड़े

राषि रूपये लाख में

क्र	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य समापन का दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किष्तों में	कुल व्यय सितम्बर 15 तक	कार्य की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	2536 पर्यावरण वानिकी	सड़क किनारे वृक्षारोपण	सितम्बर 05	मार्च 06	200000.00	200000.00	200000.00	132000.00	परिक्षेत्र अधिकारी
2	2723 प्रशासन का सुदृड़ीकरण	सूचना तंत्र विकास	जून 05	मार्च 06	63500.00	63500.00	63500.00	31651.00	परिक्षेत्र अधिकारी
3	6347 लोक वानिकी	प्रशिक्षण काय्र	सितम्बर 05	दिसम्बर 05	8000.00	8000.00	8000.00	7065.00	परिक्षेत्र अधिकारी
4	10–2406 (7882) कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन	विगड़े वनों का सुधार	अप्रैल 05	मार्च 06	6354000.00	6354000.00	6354000.00	3937732.00	परिक्षेत्र अधिकारी
5	10–4406 (4342) सड़क एवं मकान निर्माण	2 व.र. नाकों का निर्माण	मई 05	दिसम्बर 05	300000.00	300000.00	300000.00	234472.00	परिक्षेत्र अधिकारी
6	41–2406 (7882) कार्य योजनाओं का विवरण	विगड़े वनों का सुधार	अप्रैल 05	मार्च 06	1140000.00	1140000.00	1140000.00	623614.00	परिक्षेत्र अधिकारी
7	64–2406 (2962) विगड़े वनों का सुधार	विगड़े वनों का सुधार	अप्रैल 05	मार्च 06	6359000.00	6359000.00	6359000.00	5046313.00	परिक्षेत्र अधिकारी
		सीमांकन कार्य	सितम्बर 05	दिसम्बर 05	715000.00	715000.00	715000.00	127000.00	परिक्षेत्र अधिकारी
					15139500.00	***15139500.00***	***15139500.00***	***10139847.00***	

अध्याय 13 (मैनयुअल – 12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

(The manner of execution of subsidy programmes)

मध्य प्रदेष वन विभाग के अंतर्गत अनुदान अथवा राज सहायता के कोई क्रार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किये जा रहे है ।

अध्याय 14 (मैनयुअल – 13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्रतिकर्ताओं के संबंध में विवरण

(Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it)

विभाग में वनों के नजदीक रेहने बाले ग्रामवासियों को रियायती मूल्य पर वनोपज उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निस्तार नीति लागू की गई है । इस संबंध में राज्य शासन द्वारा नई निस्तार नीति दिनांक 1.7.1996 से लागू की गई है । पूर्व में निस्तार सुविधा दूर–दूर तक उन क्षेत्रों मं भी दी जाती रही थी, जहॉ वन नहीं थे । नई नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के अन्दर स्थित परिवारों को ही दी जा रही है । इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा गिरी – पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही ह । वर्तमान निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य में 1896 निस्तार डिपो संचालित किये जा रहे है । निस्तार वर्ष 2004 में 3.55 लाख बल्ली 94.23 लाख बांस एवं 0.52 लाख चट्‌टे प्रदाय किया गया है । इसका बजार मूल्य 15.50 करोड होता है । जबकि इसका रियायती मूल्य 6.45 करोड़ है ।

बांस का उत्पादन सीमित जिलों में होता है एवं उसकी मॉग पूरे राज्य में रहती है । बसोड़ों के अलावा अन्य कोई जनजाति के व्यक्ति की परम्परागत रूप से बांस की सामग्री बनाकर अपना जीवन–यापन करते हैं । इस प्रकार की मॉग की पूर्ति का प्रयास प्रदेष में संचालित निस्तार एवं उपभोक्ता डिपो के माध्यम से किया जाता है । प्रदेष के 1896 निस्तार डिपो में वनोपज एकत्र कर वितरित की जाती है । बसोड़ों को रायल्टी मुक्त बांस उपलब्ध कराया जाता है ।

अध्याय 15 (मैनयुअल – 14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

(Norms set by it for the discharge of its functions)

विभाग की प्राथमिकताऐं वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है ताकि जैव विविधता को बनाये रखते हुए वनों का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, नमी व भूमि का संरक्षण हो सके, स्थानीय जनता को उनकी आवष्यकता के वन उत्पाद यथा संभव प्राप्त हो सकें । तथा वन आधारित उद्योगों को संवहनीय रूप से कच्चे माल की पूर्ति की जा सके एवं पंचायती राज संस्थाओं को सषक्त किया जा सके । उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति हेतु विभाग की निम्न प्राथमिकताऐं निर्धारित की गई है :–

1. वनो की सुरक्षा ।
2. वनो का विकास तथा बिगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना ।
3. जैव विविधता संरक्षण ।
4. वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ।
5. बिगड़े वनों के सुधार हेतु पूंजी निवेष बढ़ावा देना ।
6. वैज्ञानिक विधि से वनों का समबद्व विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।
7. समय पर निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना ।
8. भूमि स्वामी क्षेत्रों पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निर्वतन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना ।
9. वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना ।
10. उपरोक्त समस्त दायित्वों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिष्चित करना ।
11. सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना ।

वन अधिकारी संगत अधिनियमों, नियमों, अनुदेषों तथा मेनुअल के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं । इन अधिनियमों, नियमों आदि के संबंध में इस सूचना पुस्तिका में अन्यत्र वर्णन किया गया है । विभाग के अंतर्गत दूर–दराज के क्षेत्रों में विभागीय कार्य स्थानीय तौर पर उपलब्ध मजदूरों द्वारा सम्पन्न कराये जाते है । मजदूरों के भुगतान में राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार पालन किया जाता है तथा स्थानीय आवष्यकतानुसार संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक विभिन्न विभागीय कार्यो के लिये दरों का निर्धारण करते हैं । इन दरों की सूची संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

अध्याय 16 (मैनयुअल – 15)

इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

(Information available in an electronic form)

विभाग के विगत वर्षो के कम्प्यूटर के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है तथा अधिकाधिक सूचनाएं इलैक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध कराई जा रही है । विभाग की वेबसाईट (www.mp.nic.in/forest) पर अधिकांष दस्तावेजों एवं जनोपयोगी आवष्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराया गया है ।

अध्याय 17 (मैनयुअल – 16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

(Particulars of the facilities available to citizens for obtaining information)

विभाग की रियायती मूल्य पर स्थानीय ग्रामवासियों को वनोपज उपलब्ध कराने की निस्तार योजना का विवरण निस्तार पत्रिका द्वारा पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है । विभाग की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों तथा अन्य संचार माध्यमों की सहायता से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था है । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के साथ ही विभागीय गतिविधियों संबंध सूचनाऐं अधिनियम के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेष सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 के अनुसार उपलब्ध कराने के लिये विभाग में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था की गई है ।

अन्य उपयोगी जानकारियां
(Other useful information)

मध्यप्रदेष प्रकृति से सजा संवरा प्रदेष हे । केन्द्रीय भारत की अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी हमारे प्रदेष में स्थित है, जिनके जल ग्रहण क्षेत्रों को वनाच्छादित रखने का दायित्व भी राष्ट्रीय हित में प्रदेष पर ही है । मध्यप्रदेष के वनज ैव विविधता से परिपूर्ण है । जहॉ एक और ग्वालियर, भिण्ड, राजगढ़, आदि में झाड़ीदार वन हैं वही दूसरी ओर मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी एवं शहडोल में विषाल वृक्षों वाले सागौन एव ंसाल वन हैं । देष के प्राचीनतम रहवासी आदिवासयिों का प्रमुख आवास स्थल मध्यप्रदेष है ।

मध्य प्रदेष के वनो का समुचित प्रबंध न केवल मध्य प्रदेष हेतु अपितु इसकी सीमा से लगे हुये प्रदेषों हेतु भी महत्वपूर्ण है । वनो का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास वन विभाग द्वारा किया जाता है । वनो के भीतर और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त लघु वनोपज छोटी इमारती लकड़ी, जलाऊ, बॉस, चारा आदि निस्तार सुविधाऐं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । कुछ जिलों मे विष्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को निःषुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है । खाद्यान्न के बदले में संग्रहित कल्याण निधि से इन ग्रामीणों के लिए विकास कार्य भी कराये जाते है । ।

मध्य प्रदेष राज्य का भौगौलिक क्षेत्रफल 308252 वर्ग कि.मी. है, जिसमें लगभग 95221 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में वनभूमि है । प्रदेष में कुल 47 जिले हैं, जिनमें 16 क्षेत्रीय वन वृत्त तथा 62 क्षेत्रीय वन मण्डल कार्यरत है । वैद्यानिक दृष्टिकोंण से वनक्षेत्रों के वर्गीकरण के अंतर्गत 58734 वर्ग कि0मी0 आरक्षित वन 35587 वर्ग कि0मी0 संरक्षित वन तथा 900 वर्ग कि0मी0 अवर्गीकृत वन हैं । राज्य का वनक्षेत्र कुल भौगौलिक क्षेत्रफल का लगभग 31 प्रतिषत है । प्रदेष के वनक्षेत्र में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभ्यारण्य हैं, जिनका कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 10862 वर्ग कि0मी0 है । अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वनक्षेत्र, राज्य के कुल वनक्षेत्र का 11.4 प्रतिषत है ।

वन सुरक्षा के संबंध में विभाग द्वारा की गई व्यवस्था निम्नानुसार है :–

1. प्रदेष में 363 परिक्षेत्रों 1334 उप परिक्षेत्रों एवं 7685 बीट हैं । इनमें 142 बीटें अतिसंवेदनषील घोषित है ।
2. भोपाल एवं सागर वृत्त में वन स्ट्राईक फोर्स का गठन किया गया है । प्रत्येक में 33 वनकर्मी हैं ।
3. उज्जैन, भोपाल एवं जबलपुर में 3 विषेष सुरक्षा दल तैनात है ।
4. पुलिस विभाग की 2 विषेष सषस्त्र बल की कंपनियॉ वन विभाग में तैनात हैं जो प्रदेष के 16 संवेदनषील वन मण्डलों में तैनात की गई है ।
5. 16 उड़नदस्ता दल बनाए गए है ।
6. कुल 14014 वन समितियों का गठन कर उन्हें विषिष्ट वनक्षेत्रों में संबद्व किया गया है तथा उनका प्राथमिक रूप से वनों की सुरक्षा में सहयोग लिया जा रहा है ।
7. 4200 वायरलैस सेटों का नेटवर्क स्थापित कर आधुनिक संचार प्रणाली के माध्यम से सूचना आदान प्रदान में वृद्वि की गई है ।
8. विभाग में 557 (12 बोर) बंदूकें उपलब्ध है । जिनका यथा स्थिति कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है ।
9. वन अपराधों की सूचना देने वाले व्यक्तियों का नाम गोपनीय रखते हुये पारितोषिक के रूप में धनराषि दिये जाने की व्यवस्था हैं जिसके लिए गुप्त निधि बनाई गई है ।
10. वन कर्मियों द्वारा रोस्टर के आधार पर बीट निरीक्षण की व्यवस्था की गई है । बीट निरीक्षण में संवेदनषील बीटों पर विषेष ध्यान दिया जाता है ।
11. वन अपराधों में उपयोग किये गये वाहनों को राजसात करने की व्यवस्था है । हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आदेष दिये हैं कि जप्त किये गये कोई भी वाहन

सुपुर्दनामा पर नहीं छोड़े जावेंगे । इस वर्ष में विभाग द्वारा लगभग 35 करोड़ रूपये की वनोपज अपराधियों से जप्त की गई है ।

12. सी0आर0पी0सी0 की धारा 197 उप धारा (2) के अंतर्गत क्षेत्रीय वन मण्डलों में पदस्थ वन रक्षक, वनक्षेत्रपाल एवं उप वन क्षेत्रपाल जो वनों की सुरक्षा हेतु पदस्थ हैं को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

अवैध उत्खनन

प्रदेष में अवैध उत्खनन की गंभीर समस्या वन मण्डल ग्वालियर, षिवपुरी, गुना, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, नौरादेही, दमोह, सतना, रायसेन, औबेदुल्लागंज, एवं विदिषा क्षेत्रों में है । शासन ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सक्षम नियंत्रण के लिए वन विभाग, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से समस्त जिलाध्यक्षों एवं समस्त वन मण्डलाधिकारियों को वनक्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण हेतु संयुक्त निर्देष जारी किये गये है । एवं सभी जिलों में गठित टास्क फोर्स को अवैध उत्खनन पर नियंत्रण रखने हेतु निर्देषित किया गया है । वनक्षेत्रों में अवैध उत्खनन का विषय विषेष कर षिवपुरी जिले के संबंध में मान्नीय सर्वोच्य न्यायालय के विचाराधीन है ।

राज्य में चराई की समस्या

राज्य में मवेषियों की लगभग 3 करोड़ की संख्या में से लगभग दो तिहाई वनों पर चराई हेतु आश्रित है । इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेष में राजस्थान एवं गुजरात से भेड़ बकरियॉ आकर चरती है । जो एक बहुत बड़ी समस्या है । इस समस्या से संबंधित कुछ जिलों (मंदसौर, धार, खरगौन, देवास एवं खंडवा) में टास्क फोर्स का गठन किया गया है । मध्य प्रदेष के वनों में चराई पर नियंत्रण म0प्र0 चराई नियम 1986 के अंतर्गत किया जाता है । जिसक अधीन चराई अनुज्ञप्ति ग्राम सभा द्वारा ही जारी की जाती है । राजस्थान से आने वाले भेड़, बकरी एवं ऊंट की चराई शुल्क माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा वष 2004 के लिए भी पूर्वानुसार ही रखी गई है ।

आरामषीनें

1. पूरे प्रदेष में लगभग 2500 आरा मषीनें है इनका निरीक्षण भी स्थानीय अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर किया जाता है । नई आरा मषीनों की स्वीकृति केवल मान्नीय न्यायालय द्वारा गठित सक्षम समिति की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही दी जा सकेगी ।
2. छोटी कटर मषीने एवं खराद मषीन की स्वीकृति देने के लिए राज्य शासन द्वारा 12'' डायमीटर तक की कटर मषीन को अनुज्ञप्ति की सीमा से बाहर रखा गया है
3. उपरोक्त न्यायालयीन आदेष के परिपेक्ष्य में ही म0प्र0 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 के प्रावधानों के आधार पर प्रतिबंधित क्षेत्रों की अधिसूचना (जो प्रत्येक तीन वर्ष में प्रसारित किया जाना है) जारी कर दी गई है । तथा प्रावधानों में संषोधन प्रस्तावित है ।
4. वनों की सीमा रेखा से 20 कि0मी0 की भीतर आरा मषीन लगाने हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

अग्नि सुरक्षा

वनों के संरक्षण एवं पुनरूत्पादन में अग्नि का बहुत महत्व है । पिछले कई वर्षो में विभाग द्वारा गठित बचाव कार्य दल में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को शामिल किया गया है । अग्नि बचाव से जन सहयोग प्राप्त होने से वनों की अग्नि से सुरक्षा मे अच्छी सफलता मिली है । वष 2004 में वन अग्नि का विस्तृत अनुश्रवण किया गया है । जिससे पूरे राज्य में मात्रा 0.7 प्रतिषत वन अग्नि से प्रभावित पाया गया है ।

संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिष्चित करने के लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है । वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यो में जन भागीदारी को सुनिष्चित करने के लिये मध्यप्रदेष शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संषोधित संकल्प पारित किया गया है । जिसमें निम्नानुसार प्रावधान है ।

- तीन तरह की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन करने का प्रावधान है ।
- सघन वनक्षेत्रों में वन सुरक्षा समिति ।
- बिगड़े वनक्षेत्रों में ग्राम वन समिति ।
- संरक्षित क्षेत्रों में ईको विकास समिति ।
- वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण, आम सभा के सदस्य होगे ।
- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना आवष्यक है ।
- 12 से 21 सदस्यों की कार्यकारिणी जिसमें भूमिहीन परिवार से न्यूनतम 2, स्व–सहायता समूह से 1, अनु.जाति / जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथा संभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा । कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिषत महिला सदस्य होंगी ।
- ग्राम में रहने वाले सभी पंच अथवा सरपंच व ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे ।
- समिति सदस्यों को रायल्टी मुक्त निस्तार एवं विरलन तथा सफाई से प्राप्त शत प्रतिषत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुए दिया जावेगा ।
- समिति के ऐसे सदस्य जिनकी वन एवं पर्यावरण संरक्षण में रूचि हो व शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण हो, को कार्यकारिणी का सहायक सचिव बनाया जायेगा । सहायक सचिव द्वारा 2 वर्ष पष्चात सचिव का कार्यभार ग्रहण कर सचिव के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा ।
- समिति सदस्यों को वन सुरक्षा कार्य में संलग्न होने के दौरान वैधानिक संरक्षण व वन कर्मियों की भांति ही लोक सेवक माना जावेगा ।
- वन अपराध पकड़वाने पर अभिसंधानित राषि से 50 प्रतिषत की राषि समिति को प्राप्त होगी ।
- प्रदेष में संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत 4456 वन सुरक्षा समिति, 9014 ग्राम वन समिति एवं 703 ईको विकास समितियों का गठन किया जा चुका है । इन समितियों के द्वारा प्रदेष के लगभग 59,468 वर्ग कि0मी0 वनक्षेत्र की प्रबंधन व सुरक्षा में सहयोग किया जा रहा है ।
- वन समितियों तथा वन विभाग द्वारा वनों तथा ग्राम के विकास के लिए सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाई जाती है । इस योजना का मुख्य उद्देष्य वनों की सुरक्षा तथा विकास के साथ–साथ वनों के नियंत्रित उपयोग के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की वनों पर आधारित आवष्यकताओं की पूर्ति करना है । साथ ही ऐसे ग्राम विकास के प्रयास किये जाते हैं, जिससे वनों पर दवाब कम हो ।
- 8 अप्रैल 2003 के शासनादेषानुसार जिले को इकाई मानते हुए जिले की समस्त वन समितियों को इमारती लकड़ी एवं बांस के विदोहन से अर्जित लाभ में से वर्ष 2000–2001 से 2001–2002, 2002–2003 के लिए इमारती लकड़ी की शुद्व आय का 10 प्रतिषत एवं बांस की शुद्व आय का 20 प्रतिषत (लाभांष) निम्नानुसार वितरित किया जाये :–

1. 1/5 भाग उन वन सुरक्षा समिति को दिया जाये जिनके आवंटित वनक्षेत्रों में अतिम पातन उक्त वर्ष में हुआ है ।
2. शेष 4/5 राषि का 80 प्रतिषत राषि जिले की समस्त वन समितियों में समान रूप से वितरित की जावे ।
3. शेष 20 प्रतिषत राषि प्रदेष की वन समितियों के प्रषिक्षण, प्रषिक्षण सुविधाओं का विकास, सूक्ष्म प्रबंध योजना की तैयारी प्रचार–प्रसार लाभांष वितरण की व्यवस्था तथा वन समितियों से संबंध वनकर्मियों के आवास सुविधाओं के विकास हेतु किया जाये ।

- वनरक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था, व्यक्ति एवं वन्यप्राणियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति हेतु ''षहीद अमृतादेवी विष्नोई वन एवं वन्यप्राणी रक्षा पुरूस्कार'' की स्थापना की गई है । इसमें वनरक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये का पुरूस्कार, व्यक्ति को पचास हजार रूपये एवं वन्यप्राणियों की रक्षा के क्षेत्रा में कार्य करने वाले व्यक्ति को पचास हजार रूपये का पुरूस्कार दिया जाता है ।
- वर्ष 2000–2001 हेतु 13 जिलों में रूपये 7.69 करोड़ के लाभांष की राषि का वितरण किया गया ।

विगत तीन वर्षो के समिति गठन के आंकड़े निम्नानुसार हैः–

वन समिति के प्रकार	वन समितियों की वर्षवार संख्या		
	2001–2002	**2002–2003**	**2003–2004**
ग्राम वन समिति	6290	3993	9014
वन सुरक्षा समिति	3741	8622	4456
ईको विकास समिति	412	688	703
योग–	**10443**	**1303**	**14173**

लोक वानिकी एवं अनुसंधान एवं विस्तार

मध्य प्रदेष शासन द्वारा भूमिस्वामी के निजी स्वामित्व के वनों वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये स्वराज्य धारणा के अनुरूप यह योजना जनता के लिए, जनता की वानिकी योजना है, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्रों में वनोपज के उत्पादन और उसके प्रसंस्करण से बने उत्पादों को बढ़ावा देकर भूमि स्वामियों के समग्र आर्थिक, सामाजिक विकास का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना से पंचायती राज संस्थाओं को सषक्त करने में सहायता मिलेगी ।

लोक वानिकी कार्यक्रम वर्तमान में मध्यप्रदेष के समस्त जिलों में लागू है । कृषकों को आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये म0प्र0 लोकवानिकी अधिनियम 2001 के परिपेक्ष्य में लोकवानिकी नियम 2002 शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है । म0प्र0 लोकवानिकी नियम के प्रावधानों के अनुसार निजी भूमि/राजस्व भूमि पर खड़े वृक्षों को वैज्ञानिक प्रबंधन किये जाने के इच्छुक कृषक/पंचायतों को चाटर्ड फारेस्टर से दो वर्ष की प्रबंध योजना बनवानी होगी । दस हैक्टर की सीमा तक प्रबंधन योजना स्थानीय वन मण्डलाधिकारी स्वीकृत कर सकेंगे । दस हैक्टेयर से अधिक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की प्रबंधन योजना भारत शासन को स्वीकृति हेतु भेजी जावेगी । प्रदेष में अब तक कुल 322 प्रबंध योजनाऐं निर्मित की गई है । लोक वानिकी कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के अंतर्गत 168 कृषक सम्मेलन, 18 कार्यषाला एवं 05 अध्ययन प्रवास आयोजित किये गये जिससे 21409 कृषक लाभांवित हुये ।

वन अनुसंधान एवं विस्तार कार्यो के अंतर्गत 11 अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों की स्थापना की गई है । इन केन्द्रों में यूकिलिप्टस प्रजाति के क्लोनल पौधे तैयार किए जा रहे है । तथा आंवला प्राति के ग्राफटेड पौधे तैयार किए जा रहे है । इन प्रजातियों के अतिरिक्त सागौन,

बांस, कटंग बांस,एवं खमार प्रजातियों के उन्नत रेणी के बीज संग्रहण से भी पौधे तैयार किए जा रहे हैं, इन 11 केन्द्रों से तैयार किए गए पौधों को शासकीय संस्थानों के अलावा निजी संस्थानों/व्यक्तियों को भी प्रदाय किया जा रहा है । उन्नत किस्म एवं गुणवत्ता के कारण दिन प्रतिदिन मांग बढ़ रही है जिससे कि भविष्य में उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

बायो–डीजल हेतु रतनजोत वृक्षारोपण

राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, गुड़गॉव (हरियांणा) के निर्देषानुसार प्रदेष में बायोडीजल हेतु रतनजोत के वृक्षारोपण हेतु 6 वर्ष की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी गई है । इस वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2003–2004 में 30 लाख रूपये व्यय करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है जिसमें से कुल 28000 लाख प्राप्त हुये है ।

औषधीय पौधों के रोपण हेतु प्रोजेक्ट प्रस्ताव

भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्वति, होम्योपैथिक विभाग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 7.10.2002 में निहित प्रावधान के अंतर्गत 5 अनुसंधान / विस्तार केन्द्र एवं एक सामाजिक वानिकी वनमण्डल का प्रस्ताव भारत शासन को भजा गया है । भारत शासन द्वारा रतलाम जिले के लिए पत्र क्रमांक 18020/09/2001 दिनांक 1.3.04 द्वारा रूपये 15.00 लाख का प्राजेक्ट स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रथम किष्त रूपये 5.00 लाख का ड्राफ्ट अनुसंधान विस्तार केन्द्र रतलाम को भेजा गया है इसके विरूद्व माह अगस्त 04 तक राषि रूपये 1.18 लाख व्यय किया जा चुका है

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्यौगिकी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा म0प्र0 वन विभाग में सूचना प्रौद्यौगिकी के समुचित एवं योजनावद्व उपयोग की दिषा में ठोस कदम उठाये गये हैं, किये गये मुख्य कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. मध्य प्रदेष वन विभाग की बेवसाईट NIC भोपाल की सहायता से संधारित की जा रही है । वेबसाईट की जानकारी सूचना प्रौद्यौगिकी शाखा द्वारा तिमाही आधार पर अद्यतन की जा रही है । वेबसाईट अक्टूर 2004 की स्थिति में अद्यतन की जा चुकी है । वेबसाईट का एड्रेस निम्नानुसार है :– www.mp.nic.in/forest
2. वन विभाग के उप वन संरक्षक स्तर तक के प्रत्येक अधिकारी/कार्यालयों के NIC के माध्यम से ई–मेल आई.डी.उपलब्ध कराया गया है, तथा ई–मेल की सूची विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है ।
3. विभाग के सतपुड़ा भवन स्थित 80 कम्प्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है । इनमें से अधिकांष कम्प्यूटरों को इंटरनेट की सुविधा बी.एस.एन. एल. द्वारा उपलब्ध की गई लीजलाईन के माध्यम से दी गई है ।
4. विभाग के कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रषिक्षण आवष्यकता का आंकलन सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा किया गया । आंकलन के आधार पर कर्मचारियों को कम्प्यूटर उपयोग का मूलभूत प्रषिक्षण दिया गया । कम्प्यूटर प्रषिक्षण सतपुड़ा भवन स्थित सूचना प्रौद्योगिकी शाखा कम्प्यूटर कक्ष में चार बैचों में दिया गया । प्रषिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण सामग्री जिसमें उपयोगी कम्प्यूटर पुस्तकें भी सम्मिलित हैं, प्रषिक्षण के दौरान प्रदाय की गई है ।

प्रषिक्षण में प्राप्त फीडबैंक एवं उपयोगिता के दृष्टिगत और नामांकन प्राप्त हुए हैं । इस हेतु प्रषिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाकर 15 बैचों में प्रषिक्षण दिया गया । इसके साथ ही पूर्व में प्रषिक्षित 54 कर्मचारियों को कम्प्यूटर के विषेष क्षेत्रों में प्रषिक्षण देने की व्यवस्था भी सम्मिलित की गई ।

5. शाखा द्वारा विभाग में जी0पी0एस0 लागू करने हेतु एक याजनाबद्व ढंग से कार्य किया जा रहा है ।
6. अभी तक नेवीगेषन ग्रेड के 16 जी0पी0एस0 तथा दो डी0जी0पी0एस0 क्रय किये जा चुके हैं ।
7. 4 वन मण्डलों सीहोर, पष्चिम छिन्दवाड़ा, औबेदुल्लागंज, एवं गुना में डिजीटल मैप सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त किये जा चुके है । उन पर प्रषासनिक सीमायें एवं स्टॉक मैप चढ़ाने का कार्य प्रगति पर है । औबेदुल्लागंज एवं पष्चिम छिन्दवाड़ा वन मण्डल का कार्य पूर्ण हो चुका है । गुना का कार्य जारी है ।
8. विभाग में जी0आई0एस0 लागू करने के लिए Arc-Info साफटवेयर के तीन लाईसेंस क्र किया जाकर स्थापित किये जा चुके हैं । इसके उपयोग हेतु विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रषिक्षित करने एवं विभाग के कार्यो हेत कस्टमाइज करने का कार्य संपन्न किया जायेगा । इसके अतिरिक्त आर्क व्यू के 5 लाईसेंस एवं मैप ऑब्जेक्ट का एक डेवलपर लाईसेंस भी क्रय किया गया ।
9. विभाग में जी0आई0एस0 के विस्तार हेत आन्ध्रप्रदेष वन अकादमी की प्रषिक्षण में सहायता ली जा रही है । आन्ध्रप्रदेष वन अकादमी द्वारा अभी तक विभाग के 25 अधिकारियों/कर्मचारियों जिसमें वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/सहायक वनसंरक्षक/वनक्षेत्रापाल/मानचित्रकार/प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/स्तर के अधिकारी /कर्मचारी सम्मिलित हैं को प्रषिक्षित किया जा चुका है इसके अतिरिक्त जी0आई0एस0 के क्षेत्रों में अग्रणी संस्थानों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।
10. उच्च तकनीकी प्लॉटर एवं जी0आई0एस0 कम्प्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा क्रय किये गये है ।
11. शाखा द्वारा प्रदेष हेतु 5 वर्षीय ड्राफ जी0आई0एस0 एक्षन प्लान तैयार किया गया है । इस योजना के आधार पर राज्य योजना मद से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है ।
12. विभाग के दूरस्थ अंचलों में स्थित कार्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने व्ही. एस.एटी. उपकरण लगाने के प्रयास किये जा रहे है । इसके अंतर्गत प्रयोगिक तौर पर डिंडोरी वनमण्डल में एक VSAT उपकरण स्थापित किया गया है जिसके परिणाम संतोषप्रद प्राप्त हुए हैं । प्राप्त परिणाम के आधार पर वर्तमान में प्रदेष के 7 जिलों (डिंडोरी, मंडला, उमरिया, श्योपुरकलॉ, सेंघवा, बड़वानी, बड़वाहा) में VSAT उपकरण स्थापित किये जा रहे है । इस हेतु वित्तीय व्यवस्था राज्य लघुवनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है ।
13. मेसर्स सीमेन्स इंडिया लिमि. द्वारा तैयार किए गये डी0एस0एस0 Operationalisation हेत संबंधित शाखाओं में इॅस्टाल किया गया है तथा परीक्षण अंतिम चरण में है ।
14. विभाग में जी0आई0एस0 लागू करने के लिए Erdas Imagine साफ्टवेयर एवं वर्चुअल जी0आई0एस0 वर्जन 8.7 का क्रय किया जाकर स्थापित किये जा चुके हैं इसके उपयोग हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रषिक्षित करने एवं विभाग के कार्यो हेतु कस्टमाइज करने का कार्य संपन्न किया जायेगा ।

वनोपज उत्पादन

प्रदेश में वनों के विदोहन एवं निर्वर्तन की समुचित व्यवस्था हेत विभाग में एक उत्पादन शाखा कार्यरत है । इस शाखा द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्यो को संपादित किया जाता है

1. कार्य ओयाजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती, जलाऊ, बांस एवं खैर की कटाई कर प्राप्त वनोपजों को विभिन्न काष्ठागारों में परिवहन एवं निर्वर्तन करना
2. इमारती, जलाऊ एवं बांस की निस्तारी तथा व्यापारिक आवष्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना ।

उपरोक्त उद्देष्यों की पूर्ति हेत प्रदेष में वर्तमान में 16 उत्पादन वनमण्डल, एक विक्रय वन मंडल एवं 53 क्षेत्रीय वन मण्डल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं विभिन्न काष्ठ एवं वनोपजों को उत्पादन जो प्रदेष में होता है । वह मुख्यतः सामान्य रूप से कूपों से एवं विभिन्न डूब क्षेत्रों में कटाई से प्राप्त होती है । 2001—2002 तक जबलपुर एवं शहडोल वृत्त के वनक्षेत्रों से साल बोर प्रभावित काष्ठ का भी उत्पादन हुआ था । डूब क्षेत्रों से प्राप्त काष्ठ मुख्यतः इंदिरा सागर परियाजना, सरदार सरोवर परियाजना आदि बॉध परियोजनओं के डूब क्षेत्रों की कटाई से प्राप्त होती है ।

विगत वर्षो में उपरोक्त उत्पादन क्षेत्रों से प्राप्त काष्ठ एवं बांस का विवरण निम्नानुसार है :—

काष्ठ

वर्ष	उत्पादन (घ.मी.)			
	साल बोरर प्रभावित क्षेत्र से	नर्मदा डूब क्षेत्र से	सामान्य उत्पादन	योग
2001—2002	73813	139602	250248	463663
2002—2003	0	164336	230664	395000
2003—2004	0	166656	227542	394198

सामान्यतः किसी भी वर्ष में प्रति वर्ष के उत्पादन के लगभग 70 प्रतिषत एवं उसी वर्ष की लगभग 30 प्रतिषत उत्पादित मात्रा ही विक्रय हो पाती है तदनुसार विगत तीन वर्षो में विक्रय से प्राप्त राजस्व की जानकारी निम्नानुसार है ।

वर्ष	विक्रय हेतु उपलब्ध मात्रा (लाख घ.मी. में)	राजस्व (करोड़ रू.में)
2001—2002	3.10	306.66
2002—2003	4.18	509.00
2003—2004	3.88	481.73

बांस

विगत तीन वर्षो में बांस का उत्पादन निम्नानुसार है ।

वर्ष	औद्योगिक	व्यापारिक बांस	योग
2001—2002	52000	37000	89000
2002—2003	78112	53543	131655
2003—2004	80743	51580	132323

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल टीकमगढ़